Vol. II
No. 21



Friday
17th September, 1954

HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

DEBATES

Official Report

PART II—PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

CONTENTS

Note :— * at the commencement of the speech denotes confirmation not received.

THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

Friday, the 17th September, 1954

The House met at Half Past Two of the Clock.

[MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

Questions and Answers

(See Part I)

Presentation of the Report of the Committee on Unemployment and Under-employment

The Minister for Public Works and Labour (Dr. G. S. Melkote): I beg to present the Report of the Committee on Unemployment and Under-employment.

Mr. Speaker: The report is presented.

Dr. G. S. Melkote: This Committee was constituted by the Hyderabad Legislative Assembly on 18th July, 1952. The report presented to the House includes a note of dissent by three hon. Members of the Committee namely Shri B. D. Deshmukh, Shri V. D. Deshpande and Shri Annaji Rao Gavane. While presenting this report I have to acknowledge with thanks the valuable services rendered by my colleagues in drawing up this report.

L. A. Bill No. XXXIV of 1954, the Hyderabad Pathology Bill, 1954

The Minister for Medical, Public Health and Rural Reconstruction (Shri Mehdi Nawaz Jung): I beg to introduce:

"L. A. Bill No. XXXIV of 1954, the Hyderabad Pathology and Anatomy Bill, 1954".

Mr. Speaker: The Bill is introduced.

Discussion on the Revenue Department Notification No. 53, dated 2-9-1954; re: Land Commission Report.

श्री रामगोपाल रामकिशन नावंदर (कन्नड) :— तारीख १३ को अेक मोशन रेविन्यु डिपार्टमेंट के नोटीफिकेशन के लिहाज से यहां मूव्ह किया गया और आज अुस पर बहस शुरू हो रही है। यह मसला बहुत अहम है अिसलिये हाअुस के अिस जानिब के और अुस जानिब के, और खास तौर पर अिस जानिब के भी आनरेबल मेंबर्स में अिसके बारे में बुनियादी अेखतलाफ नजर आता है। . .

شری کے۔وی۔ نارائن ریڈی (راج گوپال پیٹھ) :— مسٹر اسپیکر سر۔ میں اس رپورٹ کے صفحہ (۹۶) کی طرف آپ کی توجۂ مبذول کروانا چاھتا ھوں۔ اس میں تھوڑی سی غلطی ھے۔ یہاں '' وائڈ پیارا ،،(Vide para)(۱۲۴) کی بجائے پیارا (۱۰۲۱) ھونا چاھئے۔ اوسکے بعد دوسرے سنٹنس میں ''ان پیارا (In para) (۱۸۰)کی بجائے (۱۷۱) ھونا چاھئے،،۔

श्री. रामगोपाल रामकिशन नावंदर :—अिस नोटीफिकेशन के लिहाज से लॅंड कमीशन टेनन्सी अॅंड अग्रीकल्चरल अॅक्ट १९५० की दफा ८७ के तहत कायम किया गया था और अुन्होंने यह रिपोर्ट दफा ३ और ४ के सूचनाओं को सामने रखते हुअे की है और अिस को ध्यान में रख ते हुअे अुन्होंने फॅमिली होल्डिंग और अिसके तमाम चीजों की जानकारी हासिल कर के फॅमिली होल्डिंग और लोकल अेरिया तय कीये है। अिसके बावजूद हम लोगों में अिस जमीन के मसले पर अेक्तिलाफ है। लेकिन वह बहस अब अिस जगह नहीं होसकती क्योंकि वह कानून के बनते वक्त हो चुकी है और अुसके बाद यह कानून यहां पर आ गया है। अिस कानून की दफा के तहत लॅंड कमीशन ने छः महीने के मुकररा वक्त में यह काम किया है। कमीशन ने बहुत मेहनत कर के, दौरा कर के, बहुत से लोगों से मशविरा करके अेक अैसी रिपोर्ट पेश की है जिसको पढने पर यह कहने लिये के तामूल नहीं होना चाहिये कि कानून के स्पिरिट (Spirit) को बहुत हद तक अिम्प्लिमेंट (Implement) करने के लिहाज से आसान कर के यह पेश की गअी है। अिसलिये हम अुनको धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकते। हमारे मुल्क का यह बहुत बडा मसला है। हर पार्टी और हर किसमके के लोग अिस मसले को अेक बुनियादी मसला समझते हैं। जिराअत की तरक्की के सिलसिले में अुनके खियालात अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अिससे अेख्तिलाफ नहीं हो सकता कि यह अेक बुनियादी मसला है। मुल्क की आजादी को हासिल करने के बाद हमें अपनी आर्थिक आजादी को हासिल करना है। हमें अिसको अच्छी तरीके से हल करना चाहिये। अिस लिहाज से जो कानून बनाया गया है अुसकी रोशनी में जितनी जल्द और आसानी से हो सके अुतनी जल्द अुसे अिम्प्लीमेंट कर सकें, अिसलिये यह रिपोर्ट पेश की गअी है। अिस मसले को हल करते वक्त बहुत से लोगों का ख्याल था कि आनवारी को बेसिस करार न देते हुअे लॅंड रेवीन्यू को बेसिस समझें, लेकिन यह बात कानून बनाते वक्त नहीं मानी गअी। पूरी रिपोर्ट और आखिरी रेकमेंडेशन (Recommendation) पढने के बाद मैं अिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अितना खर्च और मेहनत करने के बाद, तीन चार हजार लोगों के देहातों में घूमकर स्टेटमेंट लेने के बाद कमीशन ने वही राय दी थी जो कानून बनते वक्त हावुस ने दी थी। अिस लिहाज से अिस मामले को आसानी से हल करने के लिये लॅंड रेवीन्यू बेसिस करार दिया जाता तो मुनासिब होता, लेकिन वक्त गुजर चुका और रिपोर्ट कानून की दफा ४ के तहत हमारे सामने पेश की गअी है। करीब २०० सफे की यह रिपोर्ट है। अिसमें से चंद चीजों पर मैं अपने ख्यालात पेश करूंगा। अिस मसले

पर हमें जरा शांति से सोचना चाहिये। मुल्क में आज तक अिस मसले को हल करने की कअी कोशिशें हुअीं, कुछ कामयाब हुअीं कुछ नाकामयाब रहीं। हैद्राबाद में भी अिस तरह की कोशिश हुअी और कुछ तृटियों के साथ क्यों न हो लेकिन अेक प्रोग्रेसिव्ह (Progressive) कानून हमने बानाया। और अुसके नतीजे के तौर पर यह रिपोर्ट हमारे सामने आअी है। जमीन का मसला हल करते वक्त जमीन पर जिन चीजों का असर होता है अुन तमाम चीजों का ख्याल रखना पडता है। जमीन में कअी तरह के भेद होते हैं। आनेवारी के हिसाब से देखें तो सैंकडों अकसाम हो जायेंगे। अुसके लिहज से फैमिली होल्डिंग और लोकल अेरियाज तय करना बहुत मुश्किल होजाता है। जमीन कअी रंगों की होती है, काली, लाल, मुरमट और पथरेली भी होती है। जमीन के रंग के साथ साथ अुनकी गहराअी भी देखनी पडती है। जिस जमीन की गहराअी ६ अिंच है अुसका अुत्पादन अुस जमीन से कम होगा जिसकी गहराअी दो या तीन फीट है। साथ साथ यह भी देखना पडता है कि जमीन में कॅलशियम (Calcium) या दूसरे क्षार द्रव्य किस प्रमाण में हैं। अिन तमाम चीजों की वजह से जमीन की ताकत कम ज्यादा होती है। लॅंड कमीशन ने अिन तमाम चीजों का ख्याल रखकर अुसके अूपर अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश की है। अिसके साथ साथ जब हम जमीन के मसायल को देखते हैं तो बारिश कहां कितनी होती है, अुसको भी नहीं भूल सकते, क्योंकि अिस लॅंड प्रॉब्लेम (Land Problem) पर पानी का बहुत ज्यादा असर होता है। हमारे प्रदेश के कुछ हिस्सों में १० अिंच से लेकर ज्यादा से ज्यादा ४० अिंच तक बारिश होती है अिसलिये पैदावार में हर साल फर्क होता रहता है। बारिश ठीक हुअी तो पैदावार अच्छी होती है, कम या ज्यादा हुअी तो फसल खराब हो जाती है।

अिसके बाद दूसरा मसला आबोहवा का होता है। आबोहवा पर बहुत फसलें मुनहसिर होती हैं। अिसे भी हमें नहीं भूलना चाहिये। आबोहवा के लिहाज से पैदावार अलग अलग होती हैं। अेक ही किसम की जमीन में अेक जगह जवारी होती है तो दूसरी जगह नहीं होती, अैसा क्यों होता है ? अिसका कारण यह है कि जमीन अेक सी है लेकिन दोनों जगहों की आबोहवा अेकसी नहीं है। जवारी के लिये जिस तरह की आबोहवा की जरूरत है वैसी किसी स्थान पर न रहने के कारण वहां जवारी नहीं हो सकती। अेक जगह गेहूं होता है दूसरी जगह वह नहीं होता, अिसकी वजह भी आबोहवा ही है। वरंगल और औरंगाबाद में दोनों जगह अेक ही किसम की काली जमीन है, लेकिन औरंगाबाद में कपास होती है और वरंगल में वह नहीं होती। जमीन अेकसी होने पर भी अैसा क्यों होता है ? अिसकी वजह यही है कि दोनों स्थानों का हवामान अलग अलग है। यही बडे पेचीदे मसले जमीन का मसला हल करते वक्त हमारे सामने आते हैं। अिसी को ख्याल में रखकर लॅन्ड कमिशन ने अपना रिपोर्ट पेश किया है।

अिसके बाद हमारे सामने हालात का मसला आता है। हालात यानी जो काश्तकार खेती करते हैं अुनकी आर्थिक स्थिति का भी लिहाज यहां पर करना पडता है। आजकल हम बहुत ही जल्द मशीन युग की तरफ जा रहे हैं। आज का युग ही मशीन युग कहलाता है और हर अेक काम में आज हम मशिन का अिस्तेमाल करने की कोशिश कर रह हैं। अुसी तरह से आज हम खेती में मशिनों का अुपयोग करने लगे हैं। आजकल खेती में ट्रॅक्टर (Tractor) का अुपयोग करने लगे हैं। लेकिन सब जगह आज भी ट्रॅक्टर का अिस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि

सब को ट्रक्टर लेने की आज भी शक्ती नहीं है और वे नहीं ले सकते हैं। आज भी कअी जगह वही पुराने नांगरोंसे काम लिया जा रहा है। कअी जगह आज भी वही पूराने लकडी के नागरों से खेती की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि हर जगह अेक ही किसम के औजारों का अिस्तेमाल नहीं होता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग किसम के औजार काम में लाये जाते हैं, और अुसी पर पैदावार का प्रमाण अवलंबित रहता है। अेक ही किसम की जमीन पर यदि आप अलग अलग तरह औजारोंका अिस्तेमाल करें तो अलग अलग तरह की पैदावार होती हैं। कहीं पैदावार ज्यादा होती है तो कही कम होती है। अिस लिये फॅमिली होल्डिंग का और लोकल (Local area) का तायुन करते वक्त अिन सब बातों का लिहाज किया जाना चाहिये। बाजार भाव भी कम ज्यादा हुवा करते हैं, अुन्हें भी अिन बातों को सोंचते समय ख्याल में रखना पडता है। १६०० रुपये का जो अिनकम रखा गया है अुसमें पचास परसेंट खर्चा जाता है और नेट अिनकम ८०० रुपये का होता है, अैसा माना गया है। लँड कमिशन ने जो फॅमिली होल्डिंग तय किया है अुसमें बताया है कि फॅमिली होल्डिंग जो भी रखा गया है अुसमें डेढ गुना का अिजाफा करना जरूरी है। अिसके बारे में सोंचा जाना चाहिये। लॅन्ड कमिशन ने यह कोशिश की है कि आसान से आसान तरीके हों और अुसमें कॉम्प्लिकेशन (Complication) न हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि असान से आसान तरीका निकालते समय अिस अॅक्ट का जो मकसद था वही फौत हो रहा है। आपको

"Below eight annas and above eight annas"

अिस तरह का क्लासिफिकेशन (Classification) करना जरूरी था लेकिन अु तरह से नहीं किया गया। फॅमिली होल्डिंग तय करते वक्त अिसका लिहाज किया जाना चाहिये था, लेकिन आज लॅन्ड कमिशन के रिपोर्ट से जो चीज नजर आ रही है वह बिलकुल ही नअी है। अिसमें तो कानून का अिसके बारे में जो नजरीया था अुसे ही खतम किया गया है। अलग अलग किसम सॉअिल की होती है, अुसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। अिससे यही होगा की आपन जिस मकसद से यह कानून लायाहै वह पूरा नहीं होगा और लोगों को जमीन कम मिलेगी, और लोगों पर ज्यादा अन्याय होगा। अिसका लाजमी नतीजा यही होगा की अुसका असर प्रोटेक्टेड टेनंट सब टेनंट, टेनंट्स आदि सब पर पडेगा। और जो भी व्यक्ति का जमीन से तालुक होता है अुन सब पर अिसका असर पडना लाजमी है। अिन तमाम चीजों को सोंचा जाना चाहिये था। जमीन के टुकडों का भी मसला यहीं पर आजाता है। रोटेशन (Rotation) कल्टिवेशन (Cultivation) और सुपरविजन (Supervision) यह फॅक्टर्स हैं जिनका असर अुपजपर होता है। यदि जमीन का टुकडा ज्यादा बडा रहा तो कास्तकार अुसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता है, अगर वह अकेला हो और कंपेरिटिव्हली (Comparatively) अुसकी आमदनी कम होजाती है, और अॅवरेज अील्ड (Average yield) घट जाती है। पैसे ज्यादा खर्च करने पडते हैं और अुसके बनिसबत आमदनी कम होजाती है, और अेवरेज अिन्कम भी कम होजाता है। अिन हालात के लिहाज से लॅन्ड कमिशन ने जो रेकमेंडेशन्स दिये हैं वही सही हैं। अिन हालात में कानून के मसलों और दूसरे तमाम मसलों की तरफ नहीं देखा जाना चाहिये। यह कानून ही अितना पेचीदा है और यह मसला भी कितना पेचीदा है कि अच्छे अच्छे वकील और तालीमयाफता लोग भी अिसे अभी तक बराबर नहीं समझ

पाये हैं। अैसी हालत में काश्तकार जो बिचारा अनपढ़ है और जो देहातों के लोग हैं वह अिसे किस तरह समझ सकेंगे ? अिसमें जो टेबल आदि दिये हैं वे समझाना अिन लोगों के लिये नामुमकिन ही होगा। अिस कानून से जमीन के मसले को हल करने की जो कोशिश की जा रही है और जो रिफार्म लाया जा रहा है और अुसके तहत जो जमीन मिलनेवाली है और अिसके पहले जिनको गैर कानूनी अेखत्यार मिले थे अुसे अेकदम खतम करने के लिये हमारे पास आज जो रिपोर्ट आअी है अुसके बाद अब अिस कानून को फौरन अमल में लाना चाहिये ,तो अिसके नतायज अच्छे होंगे और अिसका मकसद पूरा होगा। अिसकेबिना लोग अिससे मुतमयीन न होंगे कि अिस कानून के जरिये से सचमुच ही जमीन मिल सकती है। अिससे आज जो चेक्स अन्ड बान्डस (Checks & Bonds) हैं वे खतम होंगे। और अिसको जल्द से जल्द अिम्पलीमेंट (Implement) करने की जरूरत है। आज बडेबडे जमीनदारों के पास जो जमीन हैं, वह काश्तकारोंको मिलनी चाहिये। किसको कम या किसको ज्यादा जमीन मिलेगी यह महत्वका सवाल नहीं है, लेकिन पहले अुन्हें कुछ न कुछ जमीन मिलनी चाहिये ताकि अुन्हें मालूम हो सकें कि अिस कानून से भी जमीन मिल सकती है, और अुनको यह मालूम होगा कि अिस कानून के तहत जमीन बटना शुरू होगअी है। लेकिन यदि ज्यादा हिस्से पडते हैं तो अुसके लिये हमें चेक लगाना चाहिये। आज हमारी जमीन के काश्तकार कअी तरह के हैं। टेनंटस हैं, शिकमीदार हैं, प्रोटेक्टेड टेनंटस हैं, और लॅन्ड रेविन्यू लेने की रैयतवारी सिस्टिम कअी जगह नाफिज है। रैयतवारी सिस्टम में जमीनदार काश्तकारों को लूटते हैं। अिस कानून के बाद अुन्हे कम मौके रहेंगे।

पहले कहा जाता था कि लॅन्ड रेविन्यु बेसेस (Land Revenue basis) अच्छा नहीं है, लेकिन अब कमिशन ने कअी जगह अुसे माना है जमीन की बहुत से किसमें हैं और अलग अलग किसम की जमीनें अेकही मुकमात पर हैं, अिसको सोंचकर लॅन्ड कमिशन ने यह तसफिया किया है।

अिसका तायुन करते वक्त वे रेविन्यु सर्कलतक गये हैं। मेरा तो कहना है कि लॅन्ड कमिशन देहात में जाकर देखभाल करता तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि यह मसला अितना पेचीदा है कि रेविन्यु सर्कल बहुत बडे बडे बनाये गये हैं। अेक अेक तालुके के रेविन्यु सर्कल बनाया गया है और अुसमें अलग अलग किसम की जमीनें आती हैं, अिस लिये अेक किसम की जमीन देखर जरूरत हो तो रेविन्यु सर्कल को स्प्लिटअप् (Split up) भी किया जा सकता है। लेकिन यह कहा गया कि अिस तरह से अुसे स्पिलट अप नहीं किया जा सकता है, और यह सही भी है। अिस तरह से अिसे स्प्लिट अप करने के लिये जो कहा जा रहा है, वह सही नहीं होगा, और लॅन्ड कमिशन ने जो लोकल अेरियाज बनाये हैं वह काफी ठीक हैं।

लॅन्ड कमिशन ने और दूसरी जो रेकमेंडेशन्स (Recommendations) की हैं वह भी काफी अच्छी हैं। फॅमिली होल्डिंग (Family holding) का तायुन करते वक्त लॅन्ड कमिशन (Land Commission) ने साधारणतः २१ अेकड जमीन अिसके लिये रखी है, और यदि कोअी जमीन अिरिगेशन के तहत हो तो अुसके लिये ज्यादा से ज्यादा ६० अेकड रखा गया है। वर्क युनिट का लिहाज फॅमिली होल्डिंग और वक्त युनिट

अेकही नहीं हो सकता है क्योंकि फॅमिली होल्डिंग यदि छोटा हो तो अेक वर्क युनिट में २ फॅमिली होल्डिंग्स भी आ सकते हैं, लेकिन हमने अिस में दूसरी बात भी रखी हैं। वह १६०० रुपये की आमदनी की है। फॅमिली होल्डिंग बनाते वक्त अिसका लिहाज किया गया है।

अिसके बाद लॅन्ड कमिशन ने अलग अलग अेक्साम की जमीनात के बारे में जो बतलाया है अुसके बारे में अेक टेबल बनाकर हमारे सामने रखा गया है। और जमीनात को अलग अलग अकसाम में तकसीम करने का बताया है। और अुसका अेक टेबल हमारे सामने रख दिया गया है। लेकिन लॅन्ड रेविन्यु के ऑफिस में हम जाते हैं तो अिसका कोअी पता नहीं लगता है। अिसमें यह बताया गया है कि ८ आने की अूपर की जमीन कौनसी हैं और आठ आने के निचे की कौन्सी है, लेकिन यह बताना प्रॅक्टीकली नहीं हो सकता, अिस लिये कमिशन ने अपने रिबपोर्ट में यह नहीं बताया है। और सिंप्लिसिटी के लिहाज से यह प्रॅक्टिकल भी नहीं होता है।

अेक अेक जगह दो दो अेकसाल की जमीन है। अिस लिये काफी लॅट्टिटचूड (Latitude) रखना पडा है। अिसमें काश्तकारों को नजात मिल सकती है। सादो जमीन के लिये यह अलग अलग रखा गया है लेकिन वेट लॅन्ड (Wet land) की हृदतक अिस तरह से अलग अलग नहीं रखा गया है। सब वेट लॅन्ड के लिये ६ अेकड से ९ अेकड किया गया है। वेट लॅन्ड जो बावली के तहत रहते हैं, वहाँ वह आदमी खुद बावली खुदवाता है, खर्चा करता है और ज्यादा पैदावार पैंदा करता है, अिस लिये अुसे दूसरे जमीनात के मुमासिल रखा गया है। डबल क्राप जहां होता है, वहां पर ४ अेकड रखा गया है, और जहां लाअिट अिरीगेशन होता है वहां लोकल अेरियाके लिये ५० परसेंट रखनेका रेकमेंडेशन किया गया है।

अिन तमाम रेकमेंडेशन्स के बाद और यह कानून के अमल करने के बाद काफी जमीन मिलेगी लेकिन वह यदि बंजर ही हो तो अुससे कोअी फायदा नहीं होगा। अिसलिये यह जो रेकमेंडेशन्स हैं अुन्हें जल्द से जल्द अमल में लाने की जरूरत है। अितना कहते हुअे में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

مسٹر اسپیکر :— میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن کے لئے ٹائم لمٹ(Time limit)رکھنی چاہئے - ہر ممبر کو ۱۰ منٹ دئے جائینگے - ایسی صورت میں ہی زیادہ آنریبل ممبرس کو تقریر کا موقع مل سکیگا - اورکل بھی اس پر بحث ہوگی - غیر معمولی صورتوں میں ۲۰ منٹ کا وقت دیا جائیگا - اس سے زیادہ وقت نہیں دیا جاسکیگا -

श्री. व्ही. डी. देशपांडे (अिप्पागुडा) :—मेरे ख्याल से अिसके लिये दो दिन रखे गये हैं और यह अेक अहम मसला है। अिसके लिये यदि कुछ टाअिम ज्यादा दें तो मुनासिब होगा; क्योंकि शुरू में ही कुछ टाअिम ज्यादा लगता है, बाद में कोअी नअी बात हो तो कही जा सकती है।

مسٹر اسپیکر :— اسی وجہ سے تو میں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ منٹ لے سکتے ہیں -

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हाअुस के सामने अेक मोशन आया है जोकि लॅन्ड कमिशन के रिपोर्ट के बारे में है। अिस सिलसिले में जो तकरीरें हुवीं

अुनमें मैंने काफी कॉंट्रडिक्शन (Contradiction) पाया। जब मैं यह भाषण सुन रहा था तब मुझे हंसी अिस लिये आ रही थी कि किस तरह अेक दूसरे को कॉंट्रडिक्ट किया गया है। अेक बार अेक बात कही गअी, अुसे बाद में कॉंट्राडिक्ट किया गया। अेक बार कहा गया कि लॅन्ड कमिशन जो कायम हुआ है वह सेक्शन ४ के तहत कायम हुआ है और दूसरे बार कहा गया कि असेसमेंट बेसिस ही अच्छा है, अैसा समझता हूं। फिर कहा गया कि हमने जो सेक्शन ४ को ड्राफ्ट किया है वही गलत है, अिस तरह से काफी कॉंट्रडिक्शन पाया गया, और यह देखकर मुझे बडा ताज्जुब हुआ। लॅन्ड कमिशन के कहने के मुताबिक तो हमने जो भी बातें कही हैं वह सब गलत हैं। असेसमेंट बेसिस, सॉअिल बेसिस, वेट लॅन्ड, ड्राय लॅन्ड, पांच आदमियों का फॅमिली युनिट(Family unit)जो भी हमने सेक्शन चार में बताया है वह सब लॅन्ड कमिशन के दृष्टि से गलत है तो फिर सही क्या है? क्या १६०० रुपये की आमदनी जो बेसस बताया गया अुतना सही है और बाकी सब गलत है?

[*Mr. Deputy Speaker in the Chair*]

लॅन्ड कमिशन ने अिसके लिये बहुत मेहनत की और अपना काफी समय भी खर्च किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के वक्त जिस तरह अर्जुन ने द्रोणाचार्य को सिर्फ नमस्कार किया था वैसा ही यह हुवा है। मैं साफ बताना चाहता हूं कि लॅन्ड कमिशन ने जो अितनी मेहनत की लेकिन आखीर पहाड खोद के अुन्होंने अेक चूहाहि निकाला। लॅन्ड कमिशन ने जो काम आज हमारे सामने रखा है, वह तो हमारे सेटल्मेंट डिपार्टमेंट के लोग भी ऑफिस में बैठकर यह काम कर सकते थे। अिसके लिये अितनी धूप और पानी में फिरने की क्या जरूरत थी? जिस तरह आपने अेरिया तय करके हमें बताया, अुस तरह यदि करना तो कोअी मुश्किल बात नहीं थी, और अितने काम के लिये कोअी लॅन्ड कमिशन मुकरर करने की भी जरूरत नहीं थी। अुनको भी यदि बेसिस बताया जाता तो वे भी अिसको कर सकते थे। हम तो पहले से ही बता रहे थे कि लॅन्ड रेविन्यु बेसिस ही रखना चाहिये। असेसमेंट बेसीस के लिये जब हम कह रहे थे तो अुसे नहीं माना गया और यह कहा गया कि अिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के अिमकानांत हैं, अिस लिये अिसे नहीं माना जा सकता। और फिर आज अितना रूपया खर्च करने के बाद और अेक लॅन्ड कमिशन के रेकमेंडशन पर आखीर में अुसे मान लिया गया। आखीर में घूम फिर कर आप वहीं आये। आखिर पृथ्वी तो गोल ही है ना। लेकिन पहले ही अिसे मना जाता तो क्या होता? आज अिसे माना जा रहा है। अितना सब कर के आखिर में पहाड खोद कर चूहा ही निकला। मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि अितना रुपया खर्च कर के और अेक लॅन्डकमिशन नियुक्त कर के आपने कुछ भी हासिल नही किया और यह मैं सिद्ध करने के लिये भी तैयार हूं।

लॅन्ड कमिशन की जो रिपोर्ट है अुसके पेज २१ पर अुन्होंने कहा है कि पांच लोगों की कुनबे की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे लेकिन १६०० रुपये की आमदनी की जो शर्त है अुसी को हम ज्यादा महत्व देते हैं। प्लो युनिट (Plough unit) और वर्क युनिट (Work unit) का कोअी लिहाज नहीं किया गया है और यह कहा गया है कि यह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अिस लिये अिसे नहीं माना जा सकता है। हम सिर्फ १६०० रुपये की आम-

दनी का ही ख्याल करेंगे अेकरेज का नायुन करते वक्त १६०० की आमदनी का ही लिहाज किया जायेगा। प्लोयुनिट के बारे में अुन्होंने कहा है कि फॅमिली होल्डिंग के लिये यह लिमिट्स (Limits) नहीं लगाये जा सकते हैं। प्लोयुनिट में सुपरवाअिजरी लॅन्ड लार्ड (Supervisory Landlord) आ जाता है, क्योंकि अेक प्लो युनिट में अेकही फॅमिली आयेगा, अैसी बात नहीं है।

"The first condition therefore does not contain definition about the size of the holdings except perhaps for the implied sense regarding the maximum area which a family would be able to cultivate or supervise".

अिस लिये अुन्होंने सुपरवाअिजरी लॅन्ड होल्डर का बहाना लेकर १६०० रुपये की आमदनी का बेसिस ही अच्छा है, अैसा कहा है।

"It is that piece of land which fetches a gross income annually of Rs. 1600."

अुन्होंने आखिर में यह बताने की कोशिश की है कि हमने जो यह सेक्शन ४ बताया है वह बिलकुल बेकार है और अिम्प्रॅक्टिकेबल (Impracticable) है। अुसमें भी काफी डिफेक्ट्स (Defects) हैं, अैसा अुनका कहना है।

सॉअिल के बारे में अुन्होंने कहा है कि ब्लॅक कॉटन सॉअिल, चेल्का सॉअिल, रेड लॅन्ड, वेट लॅन्ड (Black Cotton soil, Chalka soil, Red land, Wet land) अिस तरह हमने जो कानून के सेक्शन ४ में क्लासिफिकेशन (Classification) कर के दिखाया है, अुन्होंने अॅग्रिकल्चर डिपार्टमेंट का हवाला देकर अिसे बेकार साबित करने की कोशिश की है। मिडिल क्लॉस सॉअिल, खराब सॉअिल पहाड के पास की जमीन, व्हॅली के पास आनेवाली जमीन, अिसमें कुछ चेलका पाअी जाती है, कहीं वेट पाअी जाती हैं, लेकिन अिन सबका अेवरेज लेने के बारे में अुन्होंने शिफारिस की है। यह अेकरेज की बात देखकर मुझे नदी की गहराअी के अेवरेज की बात याद आगअी कि अेक जगह नदी ४ फूट गहरी और दूसरी जगह ८ फूट गहरी है और तीसरी जगह २ फूट गहरी है तो अिनका अेवरेज निकाल कर बताया गया कि नदी साढेचार फूट से ज्यादा गहरी नहीं हैऔर अुसमें कोअी अिसतरह सें आरग्यूमेंट (Argument) करके अिसे नजर अंदाज कैसे किया जा सकता है ? ब्लॅक कॉटन सॉअिल, चेल्का सॉअिल, अिनका धारा अेकसा कैसे हो सकता है, और अुनकी पैदावार भी अेकसान कैसें हो सकती है? अेकही जमीन में अेक जगह का सर्वे नंबर का असेसमेंट डेढ रुपया होगा दूसरी जगह का १ रुपया होगा और तीसरी जगह का ४ आने होगा, यह सबका अेवरेज लाकर कैसे चल सकता है? चार आने की यदी आप २४ अेकड जमीन छोडेंगे तो क्या डेढ रुपये की भी २४ ही अेकड जमीन छोडेंगे ? यह अेवरेज का बेसीस सही नहीं है।

अेवरेज निकालना है तो पूरे मुल्क की हालत देखनी चाहिये। किंग कोठीके आसपास का अेवरेज निकालें तो वहां की आमदनी का अेवरेज काफी आयेगा लेकिन और किसी जगह का निका-

लेंगे तो वह बहुत कम हो जायगा क्योंकि वहां भिखारी भी बैठे हुवे हैं। जमीन जमीन में जो फर्क होता है अुसको हमें सामने रखना पडेगा। अुसके बगैर यह मसला हल नहीं हो सकता।

दूसरी बात आनेवारी के सिलसिले में है। अिसमें अिस सिलसिले में जो रेकमेंडेशन किया गया है अुसका हम लिहाज नहीं कर सकते क्योंकि कानून के लिहाज से लैंड कमीशन अिस तरह का फैसला नहीं दे सकती। कानून में साफ साफ कहा गया है कि ब्लॅक काटन, रेड, चलका वेट लैंड अित्यादि के लिये आठ आने के अूपर या नीचे की जमीन का अेक अलग अेकरेज तैयार करना पडेगा। अिस दृष्टि से अिस रिपोर्ट में लैंड कमीशन ने कानून को कान्ट्राव्हीन किया है। जो प्रोवीजन कानून में दिया है अुसको गवारा नहीं किया जा सकता। प्रोवीजो में कहा गया है कि किसी अेरिया में जियादा आमदनी नहीं आती तो वहां अेकरेज बढाया जा सकता है। लेकिन यह नहीं दिया गया है कि आठ आने के अूपर या नीचे के लिये कितना कम या ज्यादा करना चाहिये। अिसलिये जब तक अिस सेक्शन को अमेंड नहीं किया जाता तब तक लैंड कमीशन ने जो सिफारिशात दी हैं वह कानूनी तौर पर सही साबित नहीं हो सकतीं।

तरह तरह की साअिल्स को यहां लिमिट किया गया है। वेट लैंड के लिये अुनका कहना है कि आठ आने के नीचे की जमीन न रहे। कानून में कहा गया है कि आठ आने के अूपर की जमीन छः अेकड रहेगी और नीचे भी छः अेकड रहेगी। दूसरी जगहों पर आपने ७ अेकड और ८ अेकड तक गुंजाअिश रखी है लेकिन सेक्शन ४ के तहत अिसको कैसे बढाया जा सकता है? सेक्शन ६ के तहत डबल क्राप के लिये ४ अेकड रखेंगे और सिंगल क्राप के लिये ६ अेकड। लेकिन अिसके आगे बढने के लिये सेक्शन ६ के तहत गुंजाअिश नहीं थी। लेकिन हुकूमत ने कहीं ६ अेकड से सात अेकड अिस तरह से लिमिट बढाअी है, वह अलग बात है। ड्राय लैंड के बारे में अिसी तरह से कम से कम तीन किस्मे बनाना जरूरी था। आपने हर तालुके के लिये अेवरेज कायम किया। लेकिन मैंने जितूर तालुके की मिसाल देकर बताया कि जहां ४ आने अेकड के हिसाब से असेसमेंट है वहां २४ अेकड रखा और जहां डेढ रुपया है वहां के लिये भी २४ अेकड रखा तो क्या अिससे नाअिन्साफी नहीं होगी? अिस लिहाज से आनेवारी को जो नजरअंदाज किया गया है वह नामुनासिब है। मैं मानता हूं कि १४,१२,९,८,७,५,४,३, और २ आने अिस तरह के असेसमेंट के लिये मुख्तलिफ किस्में शायद हम नहीं बना सकते। लेकिन कम से कम तीन किस्में अेवरेज के हिसाब के लिये बनाये जा सकती हैं। मुल्क के वेस्टर्न हिस्सों में जो अेवरेज पाया गया है वहां ११ आने प्रतवारी है और वहां २४ और ३६ अेकड तय किया गया है। अुसके अूपर की आनेवारी के लिये अितना अिजाफा होगा और नीचे के लिये अितना होगा अिस तरह से हम रख सकते थे। अिसलिये असेसमेंट बेसिस को मैं अेक बेहतरीन बेसिस समझता हूं। डेढ रुपये जिसका असेसमेंट है अुसके लिये अगर २४ अेकड रखा जाय तो अुसके अूपरवाली जमीन के लिये जो लिमिट होगी वह कम की जा सकती है। और कम होती है तो अुसके लिहाज से जमीन की लिमिट बढाअी जा सकती है। अिस तरह से अेक लॅडर कायम करना चाहिये। लेकिन अगर अेक लोकल अेरिया के अंदर मुख्तलिफ अक्साम की जमीनात हों तो अुन सब को अेक ही लाठी से चलाने की आपने कोशिश की है। अिससे फायदा नहीं होगा। मेरा

सुझाव है कि अेकरेज-कम-आनेवारी रखें। आनेवरी भी मेरी नजर से जरा काम्प्लीकेटेड है, अिसलिये मैंने पहले कहा कि असेसमेंट बेसिस रखा जाय। कानून बनते वक्त हम लोगों ने अिस बात पर बहुत जोर दिया और रूलिंग पार्टी को अितमीनान दिलाने की कोशिश की। लेकिन अुस वक्त हम पर अिल्ज़ाम लगाया गया कि आप अिक्विटी नहीं करना चाहते, अलग अलग ज़मीन पर अलग अलग असेसमेंट होता है, अिसलिये क्लासीफिकेशन को ही बेसिस करार देना अच्छा है। अुस वक्त आनेवारी पर जोर दिया गया और आज अुसी को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। अिसके माने क्या हैं? अेक वकील की तरह जब कोअी दलील आपके लिये फ़ायदेमंद होती है तो आप अुस पर जोर देते हैं और जब वही आपके खिलाफ जाती है तो कहते हैं कि अुसमें कोअी कूवत नहीं है। अब कहा जाता है कि सिम्प्लीसिटी के लिये यह किया जा रहा है। अुस वक्त जो प्रतवारी का दावा आप कर रहे थे वह अब कहां गया? मुझे महाभारत के कर्ण को जो जवाब दिया गया था अुसकी याद आ रही है। कर्ण से कहा गया कि अुस वक्त तुम्हारा धर्म कहां गया जब कि अब संकट आने पर धर्म की बातें कर रहे हो? अुसी तरह से मैं पूछना चाहता हूं कि कानून बनाते वक्त आपका धर्म कहां गया था? अुस वक्त सिम्प्लीसिटी का आपका खियाल कहां गया था? क्या अिसका मतलब हम यह समझें कि अुस वक्त आपको यह खियाल अिसलिये नहीं था चूंकि लैंडकमीशन मुकरर कर के कुछ लोगों को चंद लाख रुपये देना था या चंद डेप्युटी मिनिस्टर्स को बढाना था? आज जब देखते हैं कि रेवीन्यू बेसिस के सिवा कोअी चारा नहीं है तो सिम्प्लीसिटी की दलील को हमारे मत्थे थोपने की कोशिश की जा रही है। अिस वक्त मैं समझता हूं कि अेरिया असेससमेंट-कम-आनेवारी अिसीको सब से अच्छा बेसिस समझते हैं। जैसे अेक आनरेबल मेंबर ने कहा कि ज़मीन का रंग, क्लायमेट, ज़मीन की गहराअी, बारिश वगैरा सब चीजों का ख्याल रखकर यह फैमली होल्डिंग और लोकल अेरियाज तय किये गये हैं। लेंड कमीशन की रिपोर्ट पढने से मालूम होता है कि वह सारी दुनिया घूमकर चूंकि वह गोल है अिसलिये फिर से अुसी नतीजे पर आ पहुंचे जिस पर हम लोग सिलेक्ट कमेटी में पहुंचे थे। लेकिन अुस वक्त हम कह रहे थे तो अुसको नहीं माना गया—पेज ६५, प्यारा १४७———

"We have actually reversed the process followed for determination of settlement rates and used the incidence of land revenue to find out the average type of soil for each taluka. The process is approximately correct and the results have been used only for the sake of comparison. Maximum rates are sanctioned for a standard soil (16 annas classification) in each group. The average assessment per acre for the group would, therefore, indicate the average soil value for that area. Such averages have been worked out wherever it was possible to do. Results are shown in Appendix 6."

आखिर आनेवारी के बेसिस पर मुख्तलिफ अेरियाज में या तालुके में मैक्जीमम और मिनिमम देखकर फायदा अुठाने की कोशिश की। अिसके साफ साफ माने यह हैं कि आनेवारी को ही बेसिस लेकर आप चल रहे थे। अिसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ असेसमेंट होता है।

अगर अैसा है तो जहां अेक से हालात हैं अुनको लेकर चार या पांच ग्रुप बनाये जा सकते हैं। आज आपने अिस स्टेट के ८ हिस्से किये हैं। अुसका असेसमेंट क्या है अुसको देखकर लोकल अेरियाज कायम की और अेक कटिंग अेक्सपेरीमेंट (Cutting experiment) के तौर पर वहां का अेवरेज यील्ड (Average yield) निकाला। तालुके के अंदर काटन, जवार, ग्राअुंडनट, राअिस आदि का परसेंटेज कितना है अुसको वर्कआैट कर के अेवरेज आमदनी क्या होती है अुसके लिहाज से १६ सौ के लिये कितना होता है अुसको तय किया। और अिसलिये आपने हजारों मील का दौरा किया और अेवीडन्सेस लिये और पैसा खर्च किया। अिसके लिये जब हम यहां बैठकर यील्ड का मवाद दे रहे थे तो अुसको लेने के लिये आप तैयार नहीं थे। ऑनरेबल मेंबर, लैंड कमीशन, मुझे माफ करें क्योंकि वह बहुत घूर कर देख रहे हैं। पेज ६८

"Results of crop experiments were made available to us. For the last 2-3 years, they have been obtained on random sampling method. Our intention was to verify or supplement this information through our enquiries. We had to adopt the only possible method of interrogation in spite of its obvious limitations."

सिलेक्ट कमेटी में पांच पचास लोगों को बुलाकर अुनसे पूछताछ की गअी थी और अुनका भी कहना था कि लैंड रेवीन्यू को बेसिस करार दिया जाय। लेकिन लैंड कमीशन ने अब दूसरे तरीके से तय कर लिया है कि अितने अेकड में १६ सौ रुपये की आमदनी हो जाती है। मैं समझता हूं अिसमें अेक बहुत बडी खामी है। आपने तालुके का अेवरेज लिया है। लैंड कमीशन के सामने हमने अेवीडन्सेस दिये थे। अुसमें यही मांग की थी कि आप बहुत बडे फार्म को मत लिजिये और बहुत छोटे फार्म को भी मत लिजिये, क्योंकि बहुत बडे और बहुत छोटे फार्म के प्रतिशत अुत्पादन में बहुत फर्क होगा। यह भी हमारा कहना नहीं कि साढे चार फॅमिली होल्डिग को ही आप लिजिये। जहां अेक या दो फॅमिली होल्डिंगवाले किसान अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सकते हैं अुसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन पूरे तालुके का अेवरेज लेकर अुसमें पांच परसेंट का अिजाफा किया गया। और यह कह कर किया गया कि ग्रेजिंग के लिये और झाडों के लिये जगह छोडनी पडती है। लैंड कमीशन के मेंबरों ने कौनसे खेत में बैठकर किस झाड के फल खाकर यह पांच परसेंट को छोडा, यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब हाअुस में पचास परसेंट अेक्सपेंडीचर आफ कल्टीवेशन हो, अैसा कहा गया था अुस वक्त यह कहा गया कि ग्रेजिंग के लिये जमीन छोडनी पडती है, तीन चार साल में अेकाध साल खराब फसल रहती है अुसका लिहाज करके ५० फीसद छोडने का तय किया गया। मुझे अुस किस्से का याद आ रहा है जब कि अेक बच्चा घी लेने के लिये दुकान पर गया तो अेक पैसे के घी के लिये दुकानदार ने 'घीनो पैसा और पैसा नो घी' अैसा कहकर अुससे दो पैसे वसूल किये। और आखिर तक बच्चा यह न समझ सका कि अेक पैसे के घी के लिये अुसने दो पैसे क्यों लिये! अुसी तरह से आज फॅमिली होल्डिग तय करते वक्त पांच परसेंट ग्रेजिंग के लिये छोडना चाहिये, अिसकी अहमियत सामने रखी जा रही है। लेकिन क्या अिस तरह से यह छोडने की सचमुच जरूरत थी? कहा जा सकता है कि वह मैक्जीमम के लिये जरूरी है। लेकिन हमारा कहना है कि १६ सौ बहुत जियादा होते हैं। अगर आप हमारे कहने के मुताबिक मैक्जीमम करार देते तो वह ज्यादा से ज्यादा साढेबारा सौ

तक जाता। अुसको आपने कन्सिडर नही किया। अिसलिये ५० परसेंट छोडने के बाद ग्रास अिनकम १६ सौ हो गया। अिसलिये यह जो रखा गया है वह मुनासिब नहीं है।

फॅमिली होल्डिंग फिक्स करते वक्त रेवीन्यु सर्कल को स्प्लिट अप करने की जरूरत पडी तो अुसके लिये लॅटीटचूड दी गअी है। अगर कोअी अिसको रिपोर्ट आफ लैटीटचूड कहें तो गलत न होगा। हर जगह लैटीटचूडज दिये गये हैं और अिसकी बिना पर पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट किया गया है। अेक रेवीन्यू सर्कल में अगर जमीन के दो हिस्से होते हैं तो वहां अेक ही फॅमिली होल्डिंग फिक्स किया गया है चूंकी वहां रेवीन्यू सर्कल को स्प्लिट अप करना पडेगा। यह लैटीटचूड क्यों दिया गया यह मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन अिसकी वजह से वहां नुकसान होता है और फॅमिली होल्डिंग बढ जाता है। अिसलिये मेरा कहना है कि यहां जो रेवीन्यू सर्कल्स को स्प्लिटप करने की जरूरत महसूस की जा रही है वह न करने की वजह से नाअिन्साफी हो रही है। मुझे यह रिपोर्ट आफ आर्बिट्रेशन' मालूम होता है। लॅंड कमीशन के मेंबर ने कहा कि जो लिमिट मुख्तलिफ साअिल्स के लिये रखी गयी है वह आर्बिट्ररी है। जैसे आठ आने की जमीन के मुकाबले में अुसके नीचे की जमीन हो तो वह टू थर्ड रखी गअी है। अुन्होंने कहा कि बेस्ट साअिल के लिये २१ अेकड और वर्स्ट साअिल के लिये ६० अेकड रखी गयी है। लेकिन अिसके लिये बेसिस क्या है? अुन्होंने यह सब आर्बिट्ररीली किया है अिसलिये हमको भी आर्बिट्ररीली अिसके बेसिस को ढूंढना पडरहा है। यहां चूंकि आठ मिनिस्टर्स हैं अिसलिये अिसके आठ हिस्से बनाये गये हैं। अिसके सिवा और कोअी बेसिस हो तो हमें बताया जाय। अुन्होंने कहा कि पहले हिस्से में तीन का फर्क होना चाहिअे। यह तीन का ही फर्क क्यों होना चाहिये? अेक चीफ मिनिस्टर है और दूसरा अुनके नजदीक जाना चाहता है अिसलिये अिसमें अितना कम फर्क रखा गया है और दूसरों के लिये ६-६ का फर्क रखा गया है। ये आठ ही हिस्से क्यों बनाये गये हैं? १६ जिले हैं? तो १६ हिस्से क्यों नहीं बनाये गये?

अिसके बाद शुगरकेन के सिलसिले में यहां पर खास रिआयत रखी गअी है। यह कहा जायगा कि अिसके लिये ज्यादा खर्चा आता है अिसलिये रिआयत दी गअी। लेकिन अिससे मैं कन्विन्स नहीं होता। अिसीके लिये ज्यादा रिआयत क्यों दी जा सकती है? रिपोर्ट में कहा गया है कि अेक अेकड के अंदर १६ सौ का ग्रास अिनकम भी हो सकता है। मैंने वर्क औट किया तो वह ४.७ तक आता है। अिसके लिये चार अेकड लेना और दूसरे क्राप निकालनेवालों के लिये भी चार अेकड ही छोडना कहां तक मुनासिब है? लोग कहते हैं कि बडे बडे सरमायेदारों के आप हामी हैं, अिसलिये शुगरकेन के बारे में आपके दिल में साफ्ट कार्नर है। मेरा ख्याल है कि शुगरकेन के लिये बहूत ज्यादा अेरिया छूटनेवाली है। अिस रिपोर्ट के सिलसिले में मुझे आखिर में अितना ही कहना है कि जो सेक्शन है अुससे यह मुताबिकत नहीं रखता। कानून के सेक्शन्स को नजरअंदाज करके असेसमेंट को दूर रखते हुअे लेकिन छिपे तौर पर अुससे मोहब्बत करते हुअे यह लिमिटेशन कायम किया गया है और अेवरेज निकाला गया है। अिसकी सिम्प्लीसिटी के लिहाज से अिसकी ताअीद करन में मुझे अुजर नहीं है; लेकिन अक शर्त पर ही ताअीद मैं कर सकता हूं और यह है कि अिससे अितनी डिसपेरिटी पैदा न हो जिससे जेसे मैंने अेक तालुके की मिसाल आपके सामन रखते हुअे बताया कि आनवारी के लिहाज से फमिली होल्डिंग और अेरिया का ताअुन न हो बल्कि असेसमेंट के बेसिस पर हो। कन्नड के आनरेबल मेंबर ने कहा कि अिसकी वजह से वकीलों को पैसा देना पडेगा। हर

देहात के अंदर हर काश्तकार को, अपना अपना सर्वे नंबर और अुसका तहसील और वह क्या देता है वह मालूम रहता है। मतलब यह है कि सर्वेनंबर और तहसील से अेवरेज हम तय कर सकते हैं। अगर अेक रुपया अेकड की जमीन है और वह बीस रुपये तहसील को देता है तो बीस अेकड जमीन है। चार आने की जमीन है और पांच रुपये तहसील को देता है तो बीस अेकड जमीन है अिस तरह से हिसाब निकाला जा सकता है। अिससे आप अिक्वीटबल तरीके से तय कर सकते हैं।

अेक और चीज कहना चाहता हूं, वह है वेट लैंड के बारे में। जेरे बावली की जमीन किसान की मेहनत से होती है अिसलिये अुस को भी ड्राय लेंड करार दिया जाना चाहिये ; अैसा कहा जा रहा है। लेकिन वह सही मालूम नहीं होगा। तेलंगाने के अंदर जेरेबावाली काफी जमीन है। क्या अुसके लिये मेहनत नहीं करनी पडती ? मेरा ख्याल है कि जेरे बावली की जमीन वेट लैंड के तौर पर तसव्वूर की जानी चाहिये, कम से कम ड्राय के तहत तो तसव्वूर नहीं की जा सकती। मैं कहूंगा कि जेरेबावली की जमीनात को लाअिट अिरीगेशन के बेसिस पर रखा जाय और ड्राय के लिये जितनी जमीन रखते हैं अुसके निस्फ अिसके लिये रखें। हमने तय किया है कि ड्राय लैंड के मुकाबले में वेट लैंड आधी रखी जाय।

अिसके बाद प्राअिसेस के बारे में कहा गया है। वह आधा गुना बढ गअी है, अैसा मेरा ख्याल है। अुन्होंने कहा कि पैडी की प्राअिसेस २५ परसेंट बढी हुअी हैं और कैश प्राअिसेस कम नहीं हुअी हैं। अिस लिहाज से अगर जमीन बढाअी गअी है तो वह मुनासिब नहीं है। आम तौर पर यह कहां होता है ? कुछ मुख्तलिफ मुकामात पर जहां फैमिली होल्डिंग कायम किया गया है वहां सेक्शन ४ के तहत जो सोचा गया था अुसके लिहाज से डेढ गुना होता है और अुसके लिहाज से सीलिंग भी बढनेवाला है। लैंड कमीशन की रिपोर्ट में किसी पेज पर बहस करते हुअे अुन्होंने कहा कि २४ के बदले ३० सीलिंग बनाया जाता है तो वह लैंड ओनर और टेनन्ट दोनों के लिये या तो फायदेमंद होती है या नुकसानदेह होती है। लेकिन अुन्होंने माना है कि सीलिंग के लिहाज से सीलिंग बढता है। मैं समझता हूं कि जो फैमिली होल्डिंग मुख्तलिफ अेरियाज के लिये रखा गया है वह ज्यादा है। अिसकी वजह से जो सरप्लस लैंड मिलने की आशा थी और अेसा जो वाइदा किया जा रहा था वह अब मिलने के अिमकानात नहीं हैं और दीगर तरीकों से भी अिसका असर बहुत बुरा होगा। और अिसके लये अेरिया असेसमेंट का रैंडर न लगाया जायेगा तो नुकसान होगा। अिन चंद चीजों को मैं हाअुस के सामने रखता हूं और अुमीद करता हूं कि हुकूमत अुस पर गौर करेगी।

**Shri Phoolchand Gandhi* (Omerga): I think I have to speak in English this time. The report of the Land Commission and the report of the Select Committee are all in English. If you please excuse me, I will proceed further.

Several hon. Members: "Please speak in Hindi".

Shri Phoolchand Gandhi: Well, I do not mind.

स्पीकर सर, लैंड कमीशन की जो रिपोर्ट है अुसके बारे में अेक लब्ज भी अिधर अुधर न जाते हुअे सिर्फ अुन्होंने जो सफा दर सफा कहा है अुसको सामने रखते हुअे अुस पर मैं अपने कॅमेंटस

पेश करूंगा। पहला चॅप्टर अिंट्रडक्शन का है। असके सफा दो पर पहले ही अुन्होंने जो कुछ जिक्र किया है वह गवर्नमेंट के सर्क्युलर के बारे में है। लैंड कमीशन के मेंबरान्स को यह अेहसास हुआ कि यह सर्क्यूलर कानून के मुगायिर है, अैसा मालूम होता है। सफे २ के पैरा ६ में वे लिखते हैं :–

"We are informed that the operation of many important porvisions of the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act (as amended in 1954) which have a reference to family or basic holdings was automatically suspended till the determination of local areas and family holdings under sections 3 and 4 of the Act."

हुकूमत ने जो सर्क्यूलर दरमियान में जारी किया वह अुनको पसंद नहीं है। लैंड कमीशन के मेंबर जो अेक वक्त यह राय रखते थे कि अिर्रेग्युलर असेसमेंट होने की वजह से असको फैमिली होल्डिंग तय करने के लिये बेसिस करार नहीं दिया जाना चाहिये, वह अुन्होंने लैंड कमीशन के मेंबर होने के नाते असके खिलाफ रिपोर्ट करने की कोशिश की है और यह बात अिस सफे में है। अुनकी राय देखने से मालूम होता है की अुनको यह सर्क्यूलर पसंद नहीं था।

"We do not at this stage intend to indulge in any discussion of the legal issues involved in or implications of such a suspension of some provisions of the Act........"

यह कानून सही है या नहीं अिसके बारे में भी अुनको शुबहा मालूम होता है। अितना ही शुबहा जाहिर करने के लिय अिस सतर को डाल दिया है कि मुमकिन है कि अिस गरज के लिये यह सर्क्यूलर जारी किया गया। अब सर्क्यूलर को बंद किया गया है चूंकि फैमिली होल्डिंग तय किया

"..........to get first-hand local knowledge of the relevant factors *viz.*, soils, climate, rainfall, methods of cultivation, crop patterns, yields, etc."

गया है। चैप्टर सात में अुन्होंने, दौरा किसलिये किया गया वह तफसील से बतलाया है। ये बहुत सी चीजें अिसमें से बगैर दौरे के मिल सकती थीं और बहुत सी चीजें दौरा करने के बाद भी नहीं मिली हैं।

अिसके बाद अब दूसरे चैप्टर पर आता हूं। सफे १४ पर प्यारा ३८ है, लैंड कमिशन ने बिलकुल अिफ्तदा में ही अिस तरह से शुरू किया है मानों पहले से ही दिक्कतों का रोना शूरू किया है। जिस तरह से कोअी रिवर के बारे में कहा जाता है कोसी नदी जब कभी बाढ लाती है तो सब को रूलाती है। अुसी तरह अिस कमिशन ने भी शूरू में ही दिक्कतों का रोना रोया है।

पहले अुन्होंने चॅप्टर ३८ रखा है वह अिस तरह से है।

"The following extract from the latest United Nations publication on land reforms will show that all Asian countries have experienced similar difficulties in enforcing tenancy legislation and in controlling tenancy conditions."

अिसमें अुन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि सभी अेशियाअी देशों की टेनन्सी लेजेस्लेशन के बारे में

काफी डिफिकल्टीज आअी हैं अिसके बाद आगे अुन्होंने यह लिखा है की—

"As a result of the scarcity of farm land, its right of use is highly valued in terms of money and labour............... In these conditions, even the most comprehensive legislation to control conditions of tenancy may be ineffective......"

अुनका कहना यह है कि टेनन्सी के मसले पर अिस तरह का यदि कोअी कॉम्प्रीहेन्सिव्ह लेजिस्लेशन बनाया गया तो वह अिनअफेक्टिव्ह होगा। और अुन्होंने यह भी कहा है कि हमने जो रिपोर्ट दिया है वह भी बराबर नहीं होगा। अुन्होंने पहले ही मान लिया है कि हमारा रिपोर्ट भी बराबर होगा अैसी बात नहीं है।

अिसके बाद अिस रिपोर्ट के पेज १५पर प्यारा ३९ और ४० है अुसमें लेंड सेन्सेस का हवाला दिया गया है। और अुसमें लेंड सेन्सेस के अेप्लिकेशन को नजरअंदाज किया गया है लेकिन लेंड सेन्सस के बारें में अिस कानून के दफा ५३ के अलफाज मौजूद हैं अिसी में फेमिली होल्डिंग और लोकल अेरियाके बारे में भी कहा गया है। और जबतक लेंड सेन्सेस पूरा नहीं होता तबतक फेमिली होल्डिंग और अेरिया तय नहीं हो सकता है।

सेक्शन ५३ अे अिस तरह से है—

"53—A. For the purposes of this Act generally and in particular for the administration of this chapter".

सारे कानून में यह अेक अहम दफा है और यह साफ तौर पर कहा गया है कि अिस चॅप्टर के अॅडमिनिस्ट्रेशन की बहुत जरूरत है —अिसी से हमें सरप्लस जमीन मिलने की अुमीद है।—आगे अिसी में कहा गया है कि——

"The Government may take a census of land holdings and details of cultivation in the prescribed manner".

अिसी ५३ दफा के तहत स्टेट भर में १ साल से लॅन्ड सेन्सस काम शूरू हुआ है। लेकिन अभी तक सिर्फ अेक बटे तीन ही काम हो पाया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जबतक लॅन्ड सेन्सेस का काम पूरा नहीं होता तबतक कमिशन की रिपोर्ट बराबर कैसे हो सकती है? लॅन्ड सेन्सेस का काम पूरा होने के लिये तो अभी कम से कम दो साल लगेंगे। लॅन्ड सेन्सस का काम जबतक पूरा नहीं होता है तबतक हम फॅमिली होल्डिंग तय नहीं कर सकते और जबतक फॅमिली होल्डिंग तय नहीं होता तबतक हमें सरप्लस लॅन्ड कहां से मिलेगी ? जब तक लॅन्ड सेन्सस नहीं होता और फॅमिली होल्डिंग तय नहीं होता तबतक हमें सरप्लस जमीन कैसे मिल सकेगी ?

तो अिस तरह से अितनी अुजलत से ४-६ महीनों में रिपोर्ट पेश कर के लॅन्ड कमिशन क्या हासिल करनेवाली है, मेरी समझ में नहीं आता है। और अिस तरह का रिपोर्ट क्या काम आनेवाला है ?

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—बेदखलियां करने के काम आनेवाला है।

श्री. फूलचंद गांधी :—खैर अिस चॅप्टरके बाद पेज २१ पर प्यारा ५१ है। प्यारा ५१ जो है वह तो पूरा ही पढ़ने के काबिल है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जबकि लॅन्ड कमिशन का अस्तित्व ही अिस कानून के दफा ८४ के तहत है, यह कानून ही अिस असेंब्ली में काफी डिसकशन

होने के बाद पास हुवा है और अिसके बाद अुस कानून के तहत लॅन्ड कमिशन मुकरर होता है तो वह अिस कानून की खिलाफवर्जी किस तरह की जा सकती है ? अिस तरह की राय कैसे दे सकता है ? यह मेरी समझ में नहीं आता है। कानून की खिलाफवर्जी किस तरह की जाय, यह बताने के लिये कमिशन मुकरर नहीं किया गया था।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—वही ज्यादा मुनसफाना समझा गया होगा।

श्री. फूलचंद गांधी :—मै नहीं समझता की अैसा समझना ठीक है। अिसके बाद प्यारा ५१ है।

"Para 51. ....The first condition, therefore, does not contain any definiteness......"

लॅंड कमिशन ने दफा ४ की खिलाफवर्जी की है। फस्ट कंडिशन जो बताअी गअी है वह अिस तरह से है।

"does not contain any definiteness about the size of the holding except perhaps for the implied sense regarding the maximum area which a family would be able to cultivate or supervise. We have, therefore, to exclude the criterion of the plough or work unit and of personal cultivation by an average family of five."

अिसमें अुन्होंने बताया है कि प्लो युनिट (Plough unit) या वर्क युनिट (Work unit)से जो और पर्सनल कलटीवेशन(Personal cultivation)के अलफाज रखे गये हैं अुसे अेक्सक्लूड करने की शिफारीस करते हैं। प्लो युनिट और वर्क युनिट को नजरअंदाज करने के लिये कहा जा रहा है। मैं कहता हूं कि आप अेक बार प्लो युनिट (Plough unit) या वर्क युनिट (Work unit) को नंजर अंदाज कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल कलटिवेशन को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है ? दफे चार खिलाफवर्जी करने के लिये वजूहात पेश किये गये हैं। अिसका अुनको क्या अधिकार है।

अिसके बाद अब मैं सेक्शन २ प्यारा ४ में जो बताया गया है अुस पर आता हूं :

"We are also required to adpot the prices prevailing at the time of determination. In view of the fact we would therefore, be guided more by the conditions of the produce than the limits prescribed"

अेक बात प्रिसक्राअिब करने के बाद भी अुसको बदलने की कोशिश की जा रही है। अिस तरह से करने के लिये अुन्हें क्या अेखत्यार है ?

"Limits can, we believe, be altered by involving the proviso to section 4."

डूबते हुअे आदमीको तिनके का सहारा वैसे ही अिनकी गत है।

"The limits can, we believe, be altered by involving the proviso to section 4 or necessary even by an amendment of the Act".

मैं यहां यह बात रखना चाहता हूं कि हमने असेंब्ली में बैठकर यह अेक कानून बनाया । अिसमें काफी दिनों तक बहस होने के बाद हमने अेक अहम दफा चार वह पास किया । और अुसके सब सेक्शन १ और सब सेक्शन २ में प्रोविजो भी पास किया और अुसके तहत कुछ रूल्स भी प्रिसक्राअिब किये, अुसमें जो कुछ अेकसेप्शन्स (Exceptions) रखे गये थे अुन्हे ही रूल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह कैसे हो सकता है ? और यह भी कहा गया कि यह दफा काबिले अमल नहीं मालूम होता, लिहाजा लैंड कमिशन (Land Commission) ने अपनी राय दी है कि अिसे अमेंड करना चाहिये । जब तक अिसमें अमेंडमेंट न किया जाय तबतक यह नाकाबिले अमल है। लेकिन अिस तरह से जो दफा हमने बनाया है अुसे अमेंड करने की शिफारिस करने का लैंड कमिशन को क्या अेखत्यार है ? हमने जो अधिकार अुहीं दिये हैं अुन्हीं के तहत अुन्हें काम करना चाहिये।

अुसके बाद पेज २३ पर प्यारा ५६ जो है वह अिस तरह से है——

"With different types of land, varying soil patterns, or climatic zones combined with sub-divisions and fragmentation of holdings a majority of holdings today presents a very complex picture. Small parcels of lands may in some exceptional cases exhibit uniformity of soil but there would be very few holdings which do not have a variety of soils. There can thus be an infinite number of combinations or permutations of varying kinds and classes of soils, and it is humanly impossible to attempt determination of family holdings for each such kind or class of soil"

मेरी समझ में नहीं आया कि यह कौनसी थीसिस है (Thesis) कि यह बात ह्युमनली अिंपॉसिबल (Humanly Impossible) है । ह्युमनली अिंपॉसिबल क्या हो सकता है ? अैसी भी कोअी बात है जो ह्युमन चाहे और न हो सके । हर देहात में जाकर भी आप देख सकते थे कि वहां पर आठ आने के अपर कौनसी जमीन है और आठ आने के नीचे की कौनसी जमीन है । अिसमें आपको तो अच्छा होता और दो तीन साल तक यह लैंड कमिशन का काम चल सकता था । और दो तीन साल मजा लूटो है ही क्या बात ? और अेक लंबी चौडी फेरिश्त बनाकर पेश की जा सकती हैं। अिससे कम से कम अिनजस्टीस होने के अिमकानात हैं अिससे फिर कोअी कनफ्युजन होने का डर नहीं है। आज तक मजा लूटी, और थोडी और मजा लूटने को मिलती अुस मे हर्जा ही क्या था? अुसमें अिनजस्टीस तो कम होता । और आप हर अेक क्लॉस की सॉअिल के लिये भी फॅमिली होल्डिंग तय कर सकते थे ।

अिसके बाद चेप्टर ५७ का प्यारा २४ अिस तरह से है——

"The confusion will be worst confounded when varying family holdings for different kinds and classes of lands and for different local areas are combined with varying operative multiples and fractions and with complex fragmented holdings. We do not, therefore, consider such a determi-

nation to be in the reach of practicability".

आपने कहा है कि अिन तमाम बातों का लिहाज करना प्रॅक्टिकेबल (Practicable) नहीं है। प्रॅक्टिकल करनेवाले तो बहुत लोग हैं आप यदि काम से घबराते हैं और कहते हैं की अिसमें प्रॅक्टिकेबलीटी नहीं है तो वह आपकी कमजोरी है। यह प्रॅक्टिकल नहीं है, यह जो आपका ख्याल है वह गलत है अगर चाहे तो आदमी कर सकता है। लेकिन कष्ट अुठाये कौन ?

अिसके बाद पेज २४ पर प्यारा ६० है। वह अिस तरह से है—अुसमें सिंप्लिसिटी (Simplicity) के बारे में कहा गया है कि जियादा से जियादा सिंप्लिसिटी होनी चाहिये। श्री. कृष्णमाचारी जो प्लॅनिंग कमिशन के मेंबर हैं अुन्होंने भी कहा था कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिये। अिस लिये असेसमेंट पर फॅमिली होल्डिंग तय करे तो अच्छा होगा। अब आप जरा प्यारा ६० जिसका जिकर किया है अुसकी तरफ जरा मुलाहिजा फरमायें।

"Simplicity of formulas can be achieved by broad averages and by providing enough latitude for variations."

यह कहा गया कि सिंप्लिसिटी लाने के लिये ब्रॉड अेवरेजेस (Broad Averages) रखने चाहियें लेकिन मेरी समझ में नही; आया ब्रॉड अेवरेजेस का क्या मतलब है? क्या जो मनमाने निकाले जा सकते हैं वह ब्रॉड अेवरेजेस हैं? अगर ब्रॉड अेवरेजेस का यही मतलब है तो फिर अुसके लिये अिस तरह से अेक कमिशन बनाने की और घूमने फिरने की क्या जरूरत थी ? वह तो आप यहां पर ही टेबल पर बठकर भी बना सकते थे। और अेक सिंपलेस्ट फारम्युला बना सकते थे। लेकिन आपने वैसा नहीं किया।

अिसके बाद पेज ३६ और प्यारा ९३ आता है। अिसमें डिफरन्ट क्लॅसेस ऑफ सॉअिल को फॅमिली होल्डिंग के तायुन करने में लिया जाना चाहिये या नहीं, अिसके बारे में कहा गया है —

"We are therefore, of the opinion that the family holdings need not be determined separately for both the types of soils in any given area."

अुनका कहना है कि फॅमिली होल्डिंग का तायुन अेक ही जगह के अलग अलग जमीनात के लिये फॅमिली होल्डिंग का तायुन अलग अलग करना ठीक नहीं है। अिसके बाद आगे चलकर वे कहते हैं कि—

"Otherwise, we would be embarking upon an impracticable proposition of preparing village-wise lists of fields or portions of fields exclusively having Black or Red soil".

अिमप्रॅक्टिबिलीटी का भूत बहुत जोरोंसे सवार दिखता है। हर बात में अिमप्रॅक्टिबेलीटी (Impracticability) का सवाल लाया जाता है। मेरा कहना है कि अितनी जल्दबाजी करने की जरूरत ही क्या थी ? जब आपको अेक अहम काम सौंपा गया था तो अुसे अितनी अुजलत से करने की कोशिश क्यों की गअी ? चार महिने में ही यह काम होना चाहिये था, अैसी तो बात नहीं है। और भी कुछ दिन लगते या कुछ महिने भी लगते

तो क्या हर्ज था और ९ महीनें में तो बच्चे की भी तो डिलिव्हरी होती है। तो ९ महीने में जरूरही डिलिव्हरी हो जाती। जब हमें कुछ सरप्लस लॅन्ड मिलने की अुमीद है तो जरा जियादा कष्ट करते तो क्या होता था ? विलेजवाअीज लीस्ट भी बनानी पडती तो क्या होता ? विलेजवाअिज लीस्ट तो क्या लेकिन गिरदावर सर्कल भी तोडने के लिये तैयार नहीं हैं, यह कैसे हो सकता है? हर वक्त यह कहा जता है कि यह अिमप्रॅक्टिबल है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है। अिसके लिये अप रेविन्यू डिपार्टमेंट की मदद लेसकते थे। और दूसरे जो भी स्टॅटिस्टिक्स मौजूद हैं अुनकी मदद ले सकते थे। आज भी आपने जो यह रिपोर्ट पेश की है अुसको डिलिव्हरी में भी आपने रेविन्यू ऑफिसर की मदद ली है तो दूसरे भी कामों में लेने में कोअी हर्ज नहीं था।

अिसके बाद पेज ३९ पर प्यारा ९६ है। वह अिस तरह से है।

"The classification table (given on page 38) thus shows that classification of wet lands in two categories, one with a soil value of 0-8-0 or more and another of remaining lands would not be correct as there would be practically no wet lands with soil value lower than 0-8-0."

अिसमें अेक क्लासिफिकेशन टेबल (Classification table) दिया गया है।

"Similarly classification of soils in western districts in two classes, the first, of lands with classification of 0-8-0 and above and the second, of remaining lands would also be a *grave mistake*, as majority of cultivated lands will thus fall in the first class".

यह तो अेक अजीब और गरीब हालत है ? अिस तरह से ग्रेव्ह मिस्टेक (Grave mistake) करने का लॅन्ड कमिशन को क्या अखत्यार है ? अिस तरह से मिस्टेक करने की अुसकी क्या हिम्मत है ?

"Majority of cultivated land will never fall in the first class, perhaps it may be half class middle lower class may be more, higher class may be less."

यह बिलकुल गलत है।

"In our opinion the determination of family holdings with direct reference to soil classification will land us in more and more confusion."

यह नुकतेनजर कमिशन का बिलकुल गलत है जब कि कानून में अेक डायरेक्टिव्ह (Directive) दिया गया है तो क्लॉसिफिकेशन (Classification) को कैसे नजर अंदाज किया जा सकता है ?

confusion worst confounded and impracticable.

यह अलफाज सारे रिपोर्ट में यहां वहॉं फेंक दिये गये हैं और सब पूरे रिपोर्ट में अिसे बिखरा गया है। और जो आरग्युमेंटस किये गये हैं वह सब कानून की खिलाफ वर्जी कैसे की जाय अिसके बारे में ही किये गये हैं।

अिसके बाद सफा ४० पर मैं दरमियान में पढ रहा हूं।

"If we decide to adopt soil classification as the criterion for applying various sizes of family holdings, we will have to prepare village-wise lists of fields having different soil values or even if we make only two categories in section 4, we will have to prepare village-wise lists of 1st class and other lands separately for Wet, Black-cotton, and Chalka lands."

पहले जैसे ही आरग्युमेंटस यहां भी पेश किये जा रहे हैं। अैसी खिलाफ वर्जी करने का कमिशन को क्या अेखत्यार है, यह मैं पूछना चाहता हूं। आपको दफा ४ का अमल करने के लिये कहा गया था। आपको जिस कानून की पाबंदी करने के लिये कहा गया था, आपको जिस कानून की पाबंदी करने के लिये कहा गया है वह तो आपको करना ही चाहिये।

"We will have to do it. We have not created by this Act law-breakers, we have created law-abiders. We expect them to abide by the law and they should not violate it."

अिसके बाद जो कहा गया है अुसको तो पढने के लिये भी मैं हिचकिचाता हूं।

"We shudder to think"—I am really shivering to read these lines.

" ....of these requirements with reference ot the complex nature of the peasant's holdings and the need of elaborate calculations for reducing different parts of holdings in terms of a standard of unit adopted for conversions."

अुसी पेज पर आगे प्यारा ९९ हैं जो अिस तरह से है —

"Adopting the two classes of soils for determination of family holdings as it is conceived in the Act, is also difficult because no statistics are available for reference to such classification of soils."

आपने अेक ढांचा यहां पर पेश किया है। लेकिन अुससे आपको क्या मिला है? लॅन्ड कमिशन ने अेक प्यारे में लिखा है कि लॅन्ड रेव्हिन्यु मौजूं दिखा अिस लिये की हमने जो सर्वे रेकार्डर्स देख हैं अुनसे यह मुनासिब समजा कि लॅन्ड रेविन्यु को बेसिस बनाया जाय। जब सिलेक्ट कमिटी में अिसके बारे में बहस होरही थी तब पर अेकर अिल्ड (Per acre yield) आअुट टर्न आदि के फिगर्स अुन्हें मिल सके तो आपको क्यों नहीं मिल सके? अुसमें दुश्वारी ही क्या थी?

"It would, therefore, be necessary to arbitrarily fix the relation which would perhaps exist between per acre yields of first class soils and per acre yields of other soils".

अिसके बाद आपको आनावारी फिक्स करने के लिये मुश्किल ही क्या थी ? मैं कह सकता हूं कि अैसे भी फीक्स करने में कोअी बडी बात नहीं थी। अिस तरह थेयरी ऑफ ऑरबेट्री फार्अिडिगा (Theory of arbitrary finding) की जरूरत नहीं थी और थियरी ऑफ अेवरेज फाअिंडिग (Theory of average finding) की भी जरूरत नहीं थी। दफा ४ में मुद्दविन किया गया है कि क्या करना चाहिये। लेकिन आपने अुसे ओव्हर रूल (Over rule) किया जिसकी कोअी जरूरत नहीं थी। ऑरबिट्री फाअिंडिग का मसला यहीं खतम नहीं हुआ। अुन्होंने अिसे हर जगह दोह राया है। मुझें नहीं पता कि अिस थेयरी ऑफ ऑरबेट्री फाअिंडिग (Arbitrary finding) से क्या लाभ हुआ ?

प्यारा ४१ सफे १०१ पर अिसकी ही बहस की गअी है।

The Chief Minister (Shri B. Rama Krishna Rao): For my clarification, I would like to know, Sir, whether the discussion today is on the notification issued by the Government or whether it is para-to-para discussion on the report of the Land Commission. So far as I understand, the discussion is on the notification issued by the Government; and I do not think any hon. Member is entitled to take the time of the House by making a running commentary on each passage contained in the Report. This is my impression. I want a clarification from you, Sir. I do not want to interfere with my friend; he can have as much say as he likes. I think and my impression is that the discussion today is on the notification issued by the Government and it is not given to any hon. Member to ridicule the Commission's report or to make remarks in a most discourteous manner as is being done by the hon. Member.

Shri Phoolchand Gandhi: I will clarify the point raised by the hon. Chief Minister. It is said that the discussion will take place both on the Land Commission Report as well as on the notification issued. I will read out that notification issued by the Government.

Shri B. Rama Krishna Rao: Not so, Sir. I am referring to the directive given by the hon. Speaker the other day when he fixed the date for discussion. If I am correct, he has made it clear that the discussion would be limited to

the notification issued by the Government regarding the family holdings. The discussion cannot go beyond the limits fixed by hon. the Speaker and no hon. Member can have the liberty of giving a sort of a running commentary as on a cricket match or some such other thing.

Shri Phoolchand Gandhi: The hon. Chief Minister need not worry about this matter. I am referring to his own notification No. 510. It is stated therein that the Hyderabad Legislative Assembly will discuss the recommendations of the Hyderabad Land Commission and the orders passed by the Government of Hyedrabad in respect of local areas and family holdings in their notification. I take that both the notification as well as the report of the Land Commission are under discussion now and there is nothing wrong in discussing the two. The discussion so far had taken place touching the Land Commission Report. If I should be precluded from discussing the said Report, I do confine myself to the notification and do not deal with the Report. The notification is based on the Land Commission Report itself and it is impossible not to refer to it even while confining myself to the notification. But still, if the hon. Speaker gives a ruling in this respect that only the notification should be discussed, I will stick to that alone.

Mr. Deputy Speaker: I think the hon. member will finish his speech in 5 minutes.

Shri Phoolchand Gandhi: I request the hon. Speaker to be kind enough to give me 10 minutes more...........

Mr. Deputy Speaker: I am afriad to other members also will demand likewise. I cannot give, there is no time.

Shri Phoolchand Gandhi: I will solve the problem by finishing it within ten minutes.

अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता सिर्फ रनिंग कॉमेंट्री के तौर पर पढता जाता हूं ।

I will go on with the running commentary.

पेज ४१ प्यारा १०१ है —

"Rationalization" is used herein and I want to show in what context it is used.

रॅशनलाजिजेशन और सिप्लिसिटी अेक जगह नहीं बैठती है ।

"We do not think that by deducing such averages we would be abandoning any rational approach to the problem. If it were necessary, we would have certainly sacrificed a little ratioiality for the sake of simplicity of operation of the reforms. But where rationalization is impossible and where some important factors have to be determined arbitrarily, it is certainly so far to have broad averages and achieve maximum simplicity rather than create confusion."

रेशनलाअिजेशन, सिम्प्लिसिटी का कनफ्युजन (Confusion) पैदा किया गया है। सिर्फ सिम्प्लिसिटी लाने के लिये आॅरबीट्ररी (Arbitrary) रखा गया है यहां तक सही है। अिसके बाद सफा ७४ पर लिखा है—

Considering the obvious limitations of our enquiries and then to keep the number of grades as low as possible, we decided that the steps should be of six acres for each fall in the grade excepting the first step which should be of 3 acres only".

Why did you decide this? What is the rational basis behind this? Perhaps you do not touch rational basis

अिसके बाद ७५ सफे पर १६७वे पैरे में——

"...........We could not split up some such talukas because the two differing parts could not be separated without splitting the Revenue Circles................."

We are aware of similar differences exisiting in some parts of few other talukas which have not been split up. Kandhar, Gangakhed and Georai for example have both the extreme types of soils, deep Black Cotton in the south towards the banks of Godavari and light Black or Red towards the north. We could not split up some such talukas because the two differing parts could not be separated without splitting the Revenue Circles......"

अेक अहम पेचीदगी पैदा हुअी, रेवीन्यू सर्कल को स्प्लिट अप करने की। तो अिसमें कानून की कितनी खिलाफवर्जी है! जमीन चाहे पत्थर की हो, चाहे रेड हो, ब्लैक काटन हो, चाहे सेकंड क्लास हो, सब के लिये अेक नियम लागू किया गया। रेविन्यू सर्कल्स अैसी कौनसी सीतामाअी की लकीर है जिसको तोडने से मुश्किल पैदा हो सकती है!

अिसके बाद हाअुस का ज्यादा समय अिस पर न लेते हुअे अिस रिपोर्ट में जो दो डिस्सेंटिंग नोटस हैं अुनकी तरफ जाअुंगा। आनरेबल श्री के. व्ही. नारायण रेड्डी लिखते हैं कि——

"At the outset, I would like to point out that the Land Commission concerned itself unnecessarily with the preparation of an elaborate report on sections 3 and 4 of the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, when the Commmission had very little time at their disposal to make a comprehensive survey of the State and had no accurate and rilable agricultural statistics to enable them to come to proper conclusions in respect of these intricate issuses. All the evidence that the Commission could gather had, to my mind, merely served to confirm their own fears regarding the futility of making recommendations within the framework of the aforesaid sections. The Commission in paras 51 and 52 of its report had specially referred to the need for a reconsideration of this particular section laying down limits for the Famil Holdings because of certain inherent defects which had come to light as a result of the investigation."

जैसा कि मैंने कहा अपवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता और नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अेक सतर अुन्होंने बहुत मौके की कही है कि——

"I differ from my colleagues on the Commission in so far as they suggest that the proviso may be invoked for working the section, as they themselves have conceded that the reconsideration of the section was vital to its workability. Here I should say that all the decisions taken by the Land Commission have not been unanimous."

मैं ज्यादा दोहराना नहीं चाहता लेकिन अितना कहना चाहता हूं कि लेजिस्लेटिव्ह असेंबली के तीन मेंबर्स लैंड कमीशन में चुनकर आये हैं। अुनमें से सिर्फ अेक ही मेंबर अिस कमीशन की रिपोर्ट से मुत्तफिक हुआ पाया गया। दो मेंबर्स अिससे मुत्तफिक नहीं हैं क्योंकि अुन्होंने भी अपने नोटस आफ डिस्सेंट लिखे हैं। यह कह देने के बाद नोटीफिकेशन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि अुसका बहुतसा हिस्सा अिसमें आ गया और मैं अुसकी खामिया अिसके पहले पेश कर दी हैं। और वह अखबारात में भी शाया हो चुकी हैं। लेकिन अितना हीपेश करना चाहता हूं कि---

Any how this notification No. 51, dated 2nd August, 1954 is illegal and *ultra vires* of the powers of Government. It is against the spirit of the Act. The decision is hasty and arbitrary. No Land Commission was necessary to come to such a decision.

मैं हुकूमत से अदब से अिस्तदुआ करूंगा कि किसी फॉल्स प्रेस्टिज पर न जाअिये। जैसा कि लैंड कमीशन के मेंबरों ने महसस किया है. दफा चार को किसी सरत में तबदील करना जरूरी है। अगर

दफा चार को पाबंद करना ही मकसूद है तो पाबंद कीजिये, लेकिन अितनी अुजलत से जो नोटीफिकेशन आपने शाया किया है और लैंड कमीशन की रिपोर्ट को कबूल किया और मंजूर फरमाया है तो वह न फरमाअिये। अुसको अभी भी विथ्ड्रा कीजिये और दफा ४ की पाबंदी करने की कोशिश कर के अुसके बाद होल्डिंग तय कीजिये। अभी फैमिली होल्डिंग का अमल नहीं हो रहा है। मैंने जो कुछ कामेन्ट्री की है वह अिसमें कुछ सुधार हो, अिसलिये पेश की है। हमने जो कानून बनाया अुसकी खिलाफवर्जी हम ही न करें, अिसलिये यह नुक्ताचीनी की है। मैं हुकूमत से कहूंगा कि बरायेकरम अिस नोटीफिकेशन को वापस ले और लेजिस्लेचर को अप्रोच हो कर दफा चार को अिस तरह से बदला जाय जिससे यह रिपोर्ट अुसमें ठीक तरह से बैठ सके और बाद में अिस रिपोर्ट को कबूल करने की कोशिश करें।

The House then adjourned for recess till Thirty Five Minutes Past Five of the Clock.

The House reassembled after recess at Thirty Five Minutes Past Five of the Clock.

[*Shri B. D. Deshmukh (Chairman) in the Chair*]

* شری جی - گوپال راؤ (پاکھال) :- مسٹر اسپیکرسر - ایوان کے سامنے جو نوٹیفیکیشن (Notification) بحث کے لئے آیا ہے اس میں فیملی ہولڈنگ کا ذکر کیا گیا ہے - اس فیملی ہولڈنگ میں لینڈ کمیشن کے ممبرس نے (۱۱۰) مختلف مقامات کا دورہ کرکے اور (۱۳۹) تعلقوں کا دورہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ پیش کی ہے - ٹیننسی ایکٹ کا جو اہم سکشن ہے اوسکے تحت فیملی ہولڈنگ ڈکلیر (Declare) کی گئی ہے اور اسکے ڈکلیر کئے ہوئے فیملی ہولڈنگ کو گورنمنٹ نے تسلیم کرکے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے - جو غور طلب ہے - اس میں سکشن ۴ کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا نہیں اس پر غور کرنا ہے - مجھے ایوان سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو فیملی ہولڈنگ مقرر کی گئی ہے آیا وہ حقیقت رکھتی ہے یا نہیں - اس میں آٹھ اقسام بتائے گئے ہیں - ۲۱ ایکر سے لیکر ۶۰ ایکر تک زمین کے اقسام بتائے گئے ہیں - اس رپورٹ سے ظاہر ہے کہ آربیٹری (Arbitrary) طریقے سے حساب لگایا گیا ہے - اس سلسلہ میں کوئی بیسس (Basis) نہیں بنائی گئی ہے - سکشن ۴ کے تحت بتایا گیا ہے کہ کلاسیفیکیشن (Classification) ہونا ضروری ہے - ان تفصیلات سے متعلق مجھے مزید عرض کرنا نہیں ہے لیکن جو چیز مجھے خاص طور پر عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لینڈ کمیشن کے ممبروں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہوسکے زمینات اون لوگوں کے ہاتھ میں رکھنا چاہئے جو بڑے بڑے زمیندار ہیں - سب سے بڑی غلطی جو لینڈ کمیشن نے کی ہے اور جسکو گورنمنٹ نے منظور کیا ہے وہ یہ ہے کہ زیر باؤلی زمینات اس میں داخل نہیں ہونگے بلکہ انکو خشکی میں شامل

کیا گیا ہے - سکشن ۴ کے سب سکشن ۱ و ۲ میں بتایا گیا ہے کہ ۱۶ سو آمدنی کے لئے کتنی زمین کی ضرورت ہے - اس میں خشکی زمینات کو چھوڑنے کے لئے کوئی تذکرہ نہیں ہے - ایوان سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حیدرآباد اسٹیٹ میں جملہ ۶ لاکھ ایکڑ زمین زیر باؤلی کاشت ہو رہی ہے - فیملی ہولڈنگ میں اسکو کنورٹ (Convert) کیا جائے تو (۶۶) ہزار فیملی ہولڈنگ ہوتے ہیں - اسکو لینڈ کمیشن نے (۶ یا ۷) فیملی ہولڈنگ میں کنورٹ کیا ہے اور لینڈ ریفارمس کا جو مقصد تھا اوسکو اسطرح نظر انداز کردیا گیا ہے - مقصد کو چھوڑ کر من مانے طریقے پر عمل کیا گیا ہے - اور گورنمنٹ نے اسکو مان لیا ہے - حالانکہ موور آف دی بل نے صاف صاف طور پر کہا تھا کہ جن جن مقامات پر اچھی زمینات ہونگی اور جن جن مقامات پر خراب زمینات ہونگی اونکو چھوڑ دیا جائیگا - لیکن اب زیر باؤلی زمینات کو جنکا تعلق رنٹ کے سلسلہ میں خشکی سے تھا اب تری میں شریک کرنے کو مان لیا گیا ہے - کسی طرح لینڈ ہولڈر کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے - رنٹ کے تعلق سے تصور کرتے ہیں کہ تری زمینات کا اسسمنٹ مقرر کیا جائے - جب فیملی ہولڈنگ کے تعین کا وقت آتا ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں زیادہ خرچہ ہوتا ہے - آٹھ سو روپیہ آمدنی کے لئے آٹھ سو روپیہ خرچہ ہوتا ہے یہ زیر باؤلی زمینات کے لئے کافی نہیں ہے تو ایک ہزار دو ہزار یا زیادہ رکھ سکتے تھے - یہ کوئی تجارتی اصول نہیں ہے کہ آٹھ سو روپیہ آمدنی کے لئے آٹھ سو روپیہ خرچ کریں - دو ہزار بھی رکھتے تو ہمیں عذر نہیں تھا - وہاں کے چھ ممبر ہیں اور ریوینیو بورڈ کے ایک ممبر ہیں جو زمینات کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں - میں ایوان کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سو روپیہ خالص منافع حاصل کرنے کے لئے آٹھ سو روپیہ خرچہ ہوتا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے - زیر باؤلی زمینات کا خشکی میں عمل کرکے فیملی ہولڈنگ میں کنورٹ کیا جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ جو خشکی زمینات ہوتی ہیں انکا انکم کیا ہوتا ہے - اس ایکٹ کے تحت جو نٹ انکم بتائی گئی ہے وہ آٹھ سو روپیہ ہے اور خالص منافع کے لئے آٹھ سو روپیہ خرچ بتایا گیا ہے - اور آٹھ سو روپیہ آمدنی کو فیملی ہولڈنگ سمجھا گیا ہے - اس میں تری زمینات کے لئے کوئی استثنا نہیں بتایا گیا ہے - لیکن اگر پوری تری زمینات کو فیملی ہولڈنگ میں کنورٹ کیا جائے تو ۳۶ ایکر یا ۴۸ ایکر تری زمین آتی ہے اسکی (۹۶۰۰) روپیہ انکم ہوتی ہے - اس سلسلہ میں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ باؤلیاں نہیں کھدوائی جائینگی - فرٹیلیٹی (Fertility) آئندہ کم ہو جائے یا بڑھ جائے - جب ایک مرتبہ تعین کرر ہے ہیں تو صاف طور پر یہ آنا چاہئے تھا کہ یہاں اتنی لمٹ ہے - آئندہ چل کر اس طرح کی لمٹ ہم کرتے تو پراڈکشن بڑھنے کا امکان تھا - اسی طرح (۴۸) ایکر زیر باؤلی زمینات کے متعلق لینڈ کمیشن اور حکومت نے مان لیا ہے اور پچھلے ڈسکشن میں بھی یہ چیز آچکی ہے کہ اس میں کافی خرچہ ہوتا ہے - (۶۰) ایکر آپ تری زمینات چھوڑ دینگے تو کیا انوسٹ کرسکتا ہے - اگر پیدا وار میں اضافہ کرنا ہو تو لازمی ہوگا ایسی زمینات کو کم

کیا جائے - ایک طریقہ پر یہ بھی صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں پراجکٹ
ایریاز ہیں پانی زیادہ ہے وہاں (۶) ایکر اراضی کافی ہوگی - اگر فرٹیلیٹی اچھی ہو تو یہ
زمین کافی ہوگی لیکن وہاں ریگڑ زمین - چلکہ زمین - ریڈ سوائل - بلاک کاٹن سوائل کے
کے متعلق نہیں کہا گیا - پراجکٹ ایریا کے متعلق لینڈ کمیشن نے مان لیا ہے اور اوسکی
سفارشات کو بھی گورنمنٹ نے اندھا دھند طریقہ پر مان لیا ہے - وہاں (۸) سو کی نٹ انکم
ہو جاتی لیکن جہاں دوسرے زمینات ہیں وہاں فرٹیلیٹی اچھی ہی کیوں نہ ہو اسکے
متعلق گورنمنٹ کہنا چاہتی ہے کہ اس میں بھی آٹھ سو روپیہ آتے ہیں یہ کونسا طریقہ
اور اصول ہے - دوسری چیز یہ ہے کہ آٹھ گریڈڈ سسٹم بنائے گئے ہیں اس کے متعلق
میں ایک مثال دیتا ہوں - اچم پیٹھ تعلقہ میں (۶۰) ایکر فیملی ہولڈنگ مقرر کی گئی
اوسکے مقابلہ میں مدھرہ میں (۳۰) ایکر مقرر کی گئی - مدھرہ میں بلاک کاٹن سوائل
ہے اور اچم پیٹھ میں چلکہ زمین ہے - وہاں (۶۰) ایکر میں آٹھ سو کی نٹ انکم ہوتی ہے
اور سولہ سو روپیہ گراس انکم - یہاں (۳۰) ایکر میں آٹھ سو کی انکم ہوتی اور سولہ سو کی
گراس انکم - اچم پیٹھ میں فی ایکر ایک من پیدا وار ہے تو مدھرہ میں دو من فی ایکر
پیداوار ہونا لازمی ہے - چلکہ اور بلاک کاٹن سوئل کا تناسب دیکھا جائے تو تین چار گونا
ہو جاتا ہے - لیکن اس چیز کو لینڈ کمیشن کے ممبر اور حکومت دونوں بھول گئے -
لینڈ کمیشن کی رپورٹ کے صفحہ (۴۲) پر یہ کہا گیا ہے کہ

"In various sections of the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, the words 'area of the family holdin,' wherever they occur have been used in a singular form with reference to each local area. It would therefore appear that the drafters of the bill perhaps thought that there would be only one size of family holding fixed for a local area."

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ رپورٹ ڈرافٹ کئے ہیں گویا وہ اس ہاؤس
کے ممبر نہیں تھے - میں پوچھنا چاہتا ہوں آنریبل ممبرس سے کہ کیا لینڈ کمیشن
کے ممبر اس ایوان کے ممبر نہیں تھے - کیا انہوں نے اس ایوان کا مقصد نہیں سمجھا تھا -
گویا انہوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ ڈرافٹ کرنے والے دوسرے تھے ہم نہیں
تھے - فیملی ہولڈنگ کے سلسلہ میں اس ایوان کا مقصد کیا تھا اور اپنی لینڈ پالیسی
کیا تھی اس کو نظر انداز کیا گیا اور آربیٹرری طور پر رپورٹ پیش کی گئی - اس کا صرف
یہی ایک مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لینڈ پہلے سے زمینداروں کے ہاتھ میں ہے ویسے ہی
رہنے دی جائے - اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ چلکہ کے مقابلہ میں
ریگڑ زمین میں دوگنی ایلڈنگ (Yielding) ہوسکتی ہے
بلکہ تین چار گونا ایلڈنگ ہوسکتی ہے - میں آنریبل ممبرس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس
ایریا میں وہ تشریف لے گئے تھے کیا وہاں انہوں نے اچھی طرح جانچ کی - کیا وہاں کی

فرٹیلیٹی اور پیداوار کا انہوں نے معائنہ کیا ۔ کراپ کٹنگ اکسپریمنٹ لیوی کے زمانہ میں تیار کیا گیا تھا اور جس کو تیار کرنے کی ذمہ داری پٹیل پٹواریوں پر ھی ھوتی ھے جس پر سبھی بھروسہ کرتے ھیں ۔ وہ جھوٹ لکھتے ھیں سچ لکھتے ھیں ۔ سب کچھ اونہی پر منحصر رھتا ھے ۔ لیکن آنریبل ممبرس نے اس امر کی زحمت گوارا نہیں فرمائی بطور خود جا کر دریافت کرتے ۔ اور عملی تجربہ کی بناء پر نتیجہ نکالتے ۔ ھوسکتا ھے کہ کوئی کاشتکار اپنی زمین کی پیداوار کم بتلائے ۔ کوئی کاشتکار اضافہ بتلائے ۔ کیا آنریبل ممبرس یہ کہہ سکتے ھیں کہ ھم نے فلاں فلاں سرکل یا حلقہ سے پیداوار کے متعلق اعداد و شمار حاصل کیا اور نتیجہ پر پہنچے ھیں ۔ یہ اوس رپورٹ میں نہیں بتلایا گیا ۔ جو رپورٹ ھمارے سامنے آئی ھے اوس کے دیکھنے سے معلوم ھوتا ھے کہ آر بیٹری طور پر ایوریج نکالا گیا ھے ۔ ایک سمپل ایوریج پر اس کو رکھا گیا ھے ۔ قیمتوں کا جو تعین کیا گیا اوس سلسلہ میں میرا عرض کرنا یہ ھے کہ مارکٹ ویالیو جو لگائی گئی ھے وہ بھی ٹھیک نہیں ھے ۔ رین کے سلسلہ میں تو (۵۰) سالہ ایوریج لیا گیا ھے لیکن ریٹس کے سلسلہ میں ۵ سالہ ایوریج لیا گیا ھے ۔ اگر اوتنا ھی ایوریج ریٹس کے لئے بھی لگایا جاتا تو فیملی ھولڈنگ از خود کم ھوجاتی ۔ اس میں شک نہیں کہ مارکٹ ویالیو بھی قریب قریب وھی ھے لیکن دوسالہ پہلے کا ایوریج لیا گیا ھے ۔ اس سکشن کے اندر مارکٹ پرائس جو رکھی گئی ھے اس حدتک کہاں پابندی کی گئی ۔ یہ محض آپ نے اس وجہ سے رکھا ھے کہ ریٹ زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے فیملی ھولڈنگ از خود کم ھوجاتی ۔ لینڈ کا ایریا کم ھوجاتا اور لازماً زمینداروں کو نقصان ھوجاتا اون زمینداروں کو بچانے کے لئے آپ نے یہ کیا ھے ۔ اس نوٹیفیکیشن کا پورا مقصد یہ ھے کہ جن لوگوں کے پاس زمینات ھیں وہ اون ھی کے پاس رھنے دی جائیں ۔ مرھٹواڑہ کے لئے ۲۱ تا ۳۰ ایکر تک بتلایا گیا ھے ۔ ۳۰ ایکر کا جو حساب لگایا گیا ھے تو (۱۲۵) ایکر میگزیمم فیملی ھولڈنگ ھوسکتی ھے ۔ میں پوچھتا ھوں کہ مرہٹواڑہ میں (۱۲۵) ایکر اراضی رکھنے والے کاشتکار کتنے ھیں ۔ آنریبل ممبرس کو یہ معلوم ھے کہ (۱۲۰) ایکر سے زیادہ اراضی رکھنے والے کاشتکار مرھٹواڑہ میں کم ھیں جن کے پاس سے ریزمپشن نہیں کیا جاسکتا ۔ یہ نقطہ نظر ھم نے اس رپورٹ میں پایا ھے ۔ کیا اس سے یہ ظاھر ھوسکتا ھے کہ آنریبل ممبرس نے کافی جدو جہد کی ھوگی ۔ کافی چھان بین کی ھوگی ۔ رپورٹ کے اندر جو چیز انہوں نے رکھی ھے آخر اوس کے بیسس کیا ھیں ۔ وھاں (۸) سو روپیہ کی جو ایلڈنگ بتلائی گئی ھے اوس کے کیا بیسس ھیں ۔ گریڈڈ سسٹم کا کیا طریقہ ھے ۔ پانچ تا چھ ایکر کا ڈفرنس بتلایا گیا ھے لیکن کس وجہ سے یہ ڈفرنس قائم کیا گیا نہیں بتلایا گیا ۔ ۳۰ تا ۳۶ ایکر میں (۸) سو روپیہ آمدنی ھوسکتی ھے لیکن یہ چھ ایکر کا جو تناسب رکھا گیا ھے وہ کیوں رکھا گیا ھے رپورٹ میں نہیں ھے ۔ گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد یہ معلوم ھوتا ھے کہ لینڈ کمیشن نے جتنی چیزیں رکھی ھیں اون کا انحصار بارش پر رکھا گیا ھے ۔ آنہ واری بیسس نہیں لیا گیا ۔ میں معزز ایوان کے سامنے دو چیزیں رکھونگا ۔ کلوا کرتی کی آنہ واری چار آنے تین پائی ھے ۔ اچم پیٹھ کی

پانچ آنے آٹھ پائی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اچم پیٹھ میں کلوا کرتی کے مقابلہ میں کم رقبہ ہونا چاھئیے۔ اور بارش کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اچم پیٹھ میں زیادہ بارش ہوتی ہے اور کلوا کرتی میں کم ہوتی ہے۔ وھاں بارش اور آنہ واری دونوں میں فرق ہے۔ اس لئیے اچم پیٹھ میں کم رقبہ ہوناچاھئیے۔ لیکن رپورٹ کے دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ اچم پیٹھ میں زیادہ رقبہ بتلایا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ تر بارش کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے جو مثال دی ہے اوس کے دیکھنے کے بعد یہ بیسس ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو رقبہ ڈیکلیر کیا گیا وہ من مانے طور پر کیا گیا۔ جو چھان بین کی گئی ہے پہلے سے دماغوں میں اوس کا نقشہ موجود تھا۔ اور اوس کی تکمیل ھی کی خاطر یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اوس کے انوسٹیگیشن کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اتنا کہکر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

* شری ادھو راؤ پٹیل (عثمان آباد۔ عام) :- لینڈ ٹیننسی ایکٹ کے تحت جو کمیشن مقرر ہوا تھا اوس کمیشن کی رپورٹ ھمارے سامنے آگئی ہے۔ اس سلسلہ میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ایکٹ کے سکشن (۴) کے تحت جو پابندیاں کمیشن پر عائد کیگئی تھیں یا جو پاورس اوس کو دئے گئے اون پابندیوں اور پاورس سے کمیشن نے تو تجاوز نہیں کیا یہ سوال بہت اہم ہے۔ جب کورٹ میں یہ چیز جائیگی تو گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن کے ذریعہ جو فیملی ہولڈنگ مقرر کی ہے اوس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میں سکشن (۴) ھاؤس کے سامنے رکھکر یہ بتانے کی کوشش کرونگا کہ خود کمیشن کو اس کے متعلق شک و شبہ تھا کہ فیملی ہولڈنگ مقرر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا جارہا ہے وہ آیا اس سکشن کے تحت آئیگا یا نہیں۔ میں ایک کوٹیشن پڑھ کر ھاؤس کو کنونس کرنے کی کوشش کرونگا۔ سکشن (۴) یہ ہے۔

"4. (1) Subject to and in accordance with the provisions of this section the Government shall determine in the manner prescribed for all or any class of land in any local area the area of a family holding which a family of five persons including the agriculturist himself, cultivates personally according to local conditions and practices and with such assistance as is customary in agricultural operations and which area, will yield annually a produce the value of which, after deducting fifty per cent., therefrom as cost of cultivation, is Rs. 800 according to the price levels prevailing at the time of determination."

اس پر ھم نے اوس وقت کافی ڈسکشن کیا تھا لہذا اب میں زیادہ کہنا نہیں چاھتا مطلب کی حد تک رفر کرونگا۔ ایک سکشن میں یہ پاور دی گئی ہے کہ نٹ انکم (۸) سو روپیہ ہو۔ اوپر کی ڈفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پانچ آدمی ایسی فیملی ہولڈنگ کو خود کلٹیویٹ

کرسکیں - اس لئیے یہ تھوڑا سا بے معنی ہو جاتا ہے - خود کمیشن نے یہ محسوس کیا ہے
اس کا کنسپشن یعنی اے فیملی آف پرسنس وہ اس بل سے ان کنسسٹنٹ ہوجاتا ہے - دوسرے
یہ کہ نٹ انکم میں پلو یونٹ یا ورک یونٹ کو پانچ افراد کی فیملی سے متعلق نہیں رکھا
گیا - کمیشن نے (۸) سو روپیہ کی نٹ انکم کے سلسلہ میں ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کی
کوشش کی - دوسری چیز جسکی طرف میں ھاؤس کی طرف توجہ مبذول کروانا چاھتا ھوں
وہ سب کلاز (۲) ہے -

"The Government shall determine the extent of land which shall be regarded as a family holding for each class in each class in each kind of soil in all the local areas which may be determined for the State subject to the limits specified below, shall notify in the Jarida the 'local areas' and the extents to determine not later than six months from the date on which the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands (Amendment) Act, 1954, comes into force and shall lay a copy of the Notification before the Legislative Assembly if it is in session, and if it is not in session when it next reassembles."

اس میں کیا لکھا ہے - مختلف گاؤں اور مختلف ایریا کے لئے مختلف ضلعوں میں مختلف قسم کی
اراضی کا علحدہ علحدہ تعین کیا جائیگا - جس وقت یہ چیز پیش کی گئی تھی تو اوس وقت
ھاؤس میں آنریبل ممبرس آف دی اپوزیشن کی جانب سے اسکے متعلق شبہ ظاھر کیا
گیا تھا کہ اگر اس طرح ھم رکھیں تو جسطرح چاھے کمیشن فیملی ھولڈنگ کا ایریا
بڑھا سکیگا - ھاوس کی خواھش یہ تھی کہ اس پرلمیٹیشن عائد کیا جائے - لیکن اس وقت
چیف منسٹر صاحب نے جواب دیا کہ حکومت یا کمیشن لمٹ سے تجاوز نہیں کریگی -
یہ پرامس تھا - یہ کمٹمنٹ تھا - اور یہ لمیٹیشن رکھا گیا ہے -

"Lmits:—(1) Wet land—Single Crop each year, all kinds of soils:

(*a*) Classification of 8 annas or above .... 6 acres

(*b*) All other classes .... 9 acres

(2) Dry land:

(*a*) Black Cotton or laterite soils:

(*i*) Class I with soil classification of 8 annas or above .... 24 acres

(*ii*) All other classes .... 36 acres".

لیکن زیادہ اختلاف وٹ لینڈ میں ہے - اس لئے میں آپنی بحث اسی حد تک محدود کرتا ہوں - یہاں دفعہ ۴ کے تحت وائولیشن (Violation) ہوا ہے - اس ایکٹ نے حکومت پر یہ قید رکھی ہے کہ کسی وٹ لینڈ کی بزت آٹھ آنے کی ہے تو اوس سے زیادہ نہیں کرسکتے اور اگر اس سے کم ہے تو ۹ ایکر بنا سکتے - یہ قانون ہمارے اس آنریبل ہاؤس نے بنایا تھا اور جس قانون کو لیجسلیچر نے ایک بار بنایا ہے اسکو اکزیکیٹیو باڈی مولڈ (Mould) نہیں کر سکتی - اس کا وائولیشن نہ ہونا چاھئیے بلکہ جیسا وہ قانون ہے اوسی طرح اوس کی پابندی کرتے ہوئے عمل کیا جانا چاھئیے - چنانچہ کمیشن کے ممبران نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے جو صفحہ ۲۱ اور ۲۲ پر آنریبل ممبرس ملاحظہ فرما سکتے ہیں - میں ان چیزوں میں نہیں جاتا کہ پلویونٹ ہونا چاھئیے یا ورک یونٹ ہونا چاھئیے - البتہ میری رائے یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن نے جو پلو یونٹ اور ورک یونٹ اب رکھے ہیں وہی کامیاب ہونگے اگر ہمیں صحیح معنوں میں لینڈ ریفارم کرنا ہے اور انٹنسیو کلٹیویشن کرنا ہے - اس پر بحث کرتے ہوئے میں ہاؤس کا زیادہ وقت نہیں لونگا - میں صرف ہاؤس کی توجہ اس امر پر مبذول کراؤنگا کہ دفعہ ۴ کے تحت جو اختیارات دئے گئے ہیں اون سے تجاوز کیا گیا ہے - انہوں نے رپورٹ کے صفحہ ۲۱ اور ۲۲ پر یہ کہا ہے کہ

"In view of these facts we would, therefore, be guided more by the condition of the produce than the limits prescribed......................The limits can, we believe, be altered by invoking the proviso to section (4) or if necessary even by an amendment of the Act."

انہوں نے حکومت کو یہ سجھاؤ دیا ہے کہ یہ لمٹ نکالنا چاھئیے یا اس کو عمل میں نہیں لاسکتے تو سکشن ۴ کے تحت جو پراویژو ہے اوس پر عمل کرسکتے ہیں اور امنڈ منٹ لاسکتے ہیں - لیکن قابل غور چیز یہ ہے کہ جبتک ہاؤس اس میں امنڈمنٹ نہیں کرتا یہ نوٹیفیکیشن بے معنے ہو جاتا ہے - غیر قانونی ہوجاتا ہے - ڈٹرمینیشن آف فیملی ہولڈنگ (Determination of family holding) کے وقت جو پرائس مارکٹ میں رھیگی اس لحاظ سے ۸۰۰ روپیے رہے اور مزید یہ قید عائد کی گئی ہے کہ کوئی لمٹ ۹ ایکر سے نہ بڑھے - میں اس پراویژو کو بھی ہاؤس کے سامنے پڑھ دیتا ہوں -

"Provided that the Government may by general or special order direct that the limits of the family holdings specified in this sub-section, shall for any local area be varied if the Government is satisfied that such variation is necessary or expedient for ensuring that the value of produce after deducting fifty per cent. therefrom as cost of cultivation is Rs. 800."

آپ نے ایک مرتبہ فیملی ہولڈنگ کا تعین کیا - اس قانون کے تحت تعین کیا - اس کے بعد

حالات بدلے اور پرائسس ڈاؤن ہوتی گئیں۔ اس کے بعد حکومت کو یہ احساس ہوا کہ پرائسس اتنی نیچے گئی ہیں کہ آٹھ سو روپیہ کی خالص انکم نہیں ہوسکتی اس لئے اس میں تبدیلی کی جانی چاہئیے ۔ سب سکشن ۲ کی پابندی کے تحت جو ڈکریشن ہوگا اور جو ویاریشنس ہونگے اون سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے یہ ایک سیونگ کلاز کے طور پر رکھا گیا ہے ۔ لیکن ہاؤس میں ڈسکشن کے جو ٹرنڈس اس ایکٹ پر تھے اور ایکٹ کو بھی پاس ہوکر کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے اوس وقت دونوں بازو سے یہ اصرار کیا گیا تھا کہ کمیشن یا حکوست فیملی ہولڈنگ کو من مانے نہ رکھے بلکہ آنریبل ممبرس کی دی ہوئی رائے پر کافی غور خوض کے بعد فیملی ہولڈنگ کا تعین کرے ۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ لیجسلیچر اور اکزیکیٹیو میں ہمیشہ جھگڑا ہوا کرتا ہے ۔ اکزیکیٹیو ہر وقت زیادہ سے زیادہ پاورس استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور لیجسلیچر جو عوام کی رپریزنٹیٹیو ہوتی ہے وہ قانون کے دائرہ عمل میں ورک کرنے کے لئے اکزیکیٹیو کو مجبور کرتی ہے ۔ اور ان دونوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کورٹ میں ہائیکورٹ یا سپریم کورٹ میں ہوتا ہے ۔ میں مثال کے طور پر ایک ریز سپشن کا کیس ایوان کے ملاحظہ میں لانا چاہتا ہوں ۔ قانون میں ہم نے ۶ ایکر رکھا ہے لیکن نظام آباد میں ساڑھے چھ ایکر کا ریزمپشن ہوا ہے ۔ جب اس نوٹیفیکیشن کے تحت یہ کیس کورٹ میں جائیگا تو یہ رد ہوجائیگا ۔ کورٹ اس نوٹیفیکیشن کو قطعاً باقی نہیں رکھیگا ۔

دوسری چیز کمیشن نے یہ کنونس کرانے کی کوشش کی ہے کہ لینڈ ریوینیو میں کچھ ڈفکٹس ہیں اور پروڈیوس کی بیسس کو اتنا کامپلیکیٹیڈ بنایا ہے کہ خود کمیشن کسی ڈفینیٹ نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا ۔ اس لئے انہوں نے آلٹرنیٹیو کے طور پر پرائس کو رکھا ہے ۔ لیکن وہ پرائس مشخص کرتے وقت بھی ڈفینیٹ نہیں ہے ۔ انہوں نے ایک اگزامپل بھی دی ہے ۔ انہوں نے ایوریج پرائس کو بیس بنایا ہے ۔ انہوں نے جوار چار ایکر میں چار پلے بتلائی ہے اور اسی طرح دوسرے اجناس بھی بتلائے ہیں ۔ گراؤنڈ نٹ اور کاٹن کے لئے بھی یہ ایوریج پروڈیوس رکھی ہے کہ دو ایکر ہوتو دو پلے اور تین ایکر ہوتو تین پلے اور اس کے لحاظ سے ایوریج انکم فی ایکر ۵۰ روپیے نکالی گئی ہے ۔ لیکن جب انہوں نے حدگاؤں اور پاتھری کی زمینات سے متعلق اس اصول کے لاگو کرنے میں اختلاف کیا ہے ۔ انہوں نے پاتھری ربیع ایلڈ سکس ٹو ٹن مانڈ بتلائی ہے ۔ اصول تو ایکریج کے لئے ایک پلہ نکالا ہے تو ظاہر ہے کہ میکزیمم میں فرق آئیگا ۔ یہاں اچھی سے اچھی اراضی میں جوار فی ایکر ۶ من ہوتی ہے ۔ لیکن پھر بھی اچھی سے اچھی اراضی کا پروڈیوس نکالنے کے لئے انہیں میٹریل نہیں ملا ۔ اس لحاظ سے انہوں نے اس کو بھی ادھورا ھی چھوڑا ہے ۔

تیسری چیز پرائس کی بابت ہے ۔ پرائسس دن بدن گھٹتی جارہی ہیں اور ہم نے پہلے ھی کہا تھا کہ فیملی ہولڈنگ کے تعین کے لئے پرائسس (Prices) ایک انسٹیبل الیمنٹ (Unstable element) ہے ۔ اس میں

اسٹابیلیٹی کبھی نہیں آئیگی - اس لئیے قانون بناتے وقت اگر ہمارا مقصد لینڈ ریفامس کا ہےتو یہ دیکھنا ضروری تھاکہ ایک آدمی دو یا چار بیل رکھکر کتنی اراضی کاشت کرتاہے - ایک ہیومن پاور کے لئےجہاں تک پاسیبل ہےاتنی اراضی رکھی جاتی - چنانچہ پرسنل کلٹیویشن کے تحت بھی ہم نے ایک الگ ڈفینیشن دیا تھا - لیکن ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا گیا - اس سے لینڈ ریفارمس کا مقصد ھی باقی نہیں رہا اور لینڈ لس لوگوں کے لئے کچھ لینڈ نہیں بچ سکی اور جو طریقہ کمیشن نے اختیار کیا ہے وہ غیر قانونی ہونے کے علاوہ ساؤنڈ بیسس پر بھی نہیں ہے - انہوں نے اسسمنٹ کے لئے جو رائے ظاہر کی ہے ہم اس سے بالکل متفق نہیں ہیں - اسسمنٹ الیمنٹ ہوسکتا تھا لیکن بیس تیس سال میں ایک مرتبہ اسسمنٹ ہوتاہے اور وہ بھی ایک تعلقہ میں جو اسسمنٹ ہوتاہے وہ دوسرے تعلقہ میں نہیں ہوتا - مال کی نکاسی میں بھی یہ ہوتاہےکہ جو مال حیدرآباد میں بیس میل سے آتاہے اوس کی قیمت اوس مال سے کم ہوتی ہے جو کہ ٥٠ میل سے آتاہے - اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے جو پرائس اسٹرکچر نکالا ہے اور جو ایوریج ایلڈ بتلائی ہے اس میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں جو قابل غور ہیں - اگرچیکہ یہ مسئلہ ھی بہت مشکل ہے لیکن اسپرٹ آف دی لا (Spirit of the Law) پر نظر رکھنی چاھئے تھی تاکہ لوگوں کا کم سےکم نقصان ہو - اس ایکٹ پر گورنمنٹ نے جو پوائنٹ آف ویو رکھا تھا شروع سے آخر تک وہی پوائنٹ آف ویو ڈامینیٹنگ رہا - اس لئے آر بیٹریشن وغیرہ کے الزامات سے میں بالکلیہ متفق ہوں لیکن انہیں دھرانا نہیں چاہتا -

دوسرے یہ کہ پیداوار کے تعین میں بھی اختلاف میں نے بتلائے ہیں اور سوائل کے قسم میں بھی اختلافات ہوتے ہیں - ایک کھیت سے دوسری کھیت میں زمین مختلف ہوتی ہے لیکن کمیشن نے تعلقہ کو یونٹ بتلایا ہے اور یہ فرض کیاہےکہ تعلقہ کی پوری زمین اچھی ہے تو اوس سے خراب زمین والوں کو بہت سفر (Suffer) ہونا پڑتاہے - یہاں یہ پالیسی ہونا چاھئے تھاکہ کم سے کم لوگوں کا نقصان ہو اور پرت نکالکر اراضی مشخص کیجائے - پرسنل کلٹیویشن اور روٹیشن آف کراپس سے جتنا فرق پڑتا ہے کمیشن نے اس پر غور کیاہے لیکن ایک تیز کسان ہو تو اپنے کھیت کو علی الصبح جاتاہے تاکہ جانور کھیتوں کو نقصان نہ پہنچائیں اور ایک سست کسان ہے تو وہ دیر سے جاتاہے - اسی طرح اگر وہ کھاد نہیں دیتاہے تو فصل خراب آتی ہے - اس لحاظ سے روٹیشن آف کراپس اور پرسنل کلٹیویشن میں انیس بیس کا فرق ہو سکتاہے .....

مسٹر چیر من :— آنریبل ممبر کتنا وقت لینگے ؟

شری ادھو راؤ پٹیل : — تھوڑی دیر اسطرح ڈیٹیلس میں جاکر بھی کمیشن کوئی فنڈامنٹل چیز نہیں لا سکا - کراپ آلٹریشن میں فرق ضرور پڑتا ہے لیکن آئل سیڈس میں اور گراؤنڈ نٹ میں کیا فرق پڑتاہے اور مختلف چیزوں میں کیا فرق پڑتاہے اوسکو واضح نہیں کیا گیا - اس لحاظ سے کمیشن نے جو بنیادیں لی ہیں اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے - کوئی ڈائرکٹ سپرویژن کرنے والا ہے یا گورنمنٹ سبسیڈی دیتی ہے یا اسکا

مین پروفیشن (Main profession) زراعت ہے تو آپ اس کے لئے نارمل حالت میں لے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے روٹیشن آف کراپس میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا - ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگراس نوٹیفیکیشن کو لیکر کورٹ میں جائیں تو وہ رد ہو جائیگا -

ایک اور چیز باغات کے تعلق سے ہے جو کنویں سے سینچے جاتے ہیں - ہماری طرف بھی پان اور کندی کے ملے لگائے جاتے ہیں - اور یہ یقین جانئے کہ پانچ ایکر سے زیادہ زمین نہیں کر سکتے اگر اس کے پاس ۱۰ ایکر ڈرائی لینڈ ہوتی ہے تو اوسکی طرف کاشتکار کی توجہ نہیں ہوتی - بلکہ کنووں کے باغات میں اگرچیکہ خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے- لیکن محض اس لئے کہ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں کمیشن نے اسکو نظر انداز کیا ہے جو ٹھیک نہیں ہے -

اور ایک بات مجھے یہ کہنا ہے کہ کمیشن نے اپنی رپورٹ اتنی طویل لکھی ہے کہ اس میں پورے لینڈ ریفارمس کی ہسٹری آگئی ہے - خیر انہیں کاغذ مہیا تھا وہ جتنا چاہے لکھ سکتے تھے - سالار جنگ کے زمانہ میں کیا تھا - نظام کے زمانہ میں کیا تھا اس کے بعد سنہ ۱۹۵۰ع ایکٹ میں کیا تھا اور پھر ۱۹۵۴ع ایکٹ میں کیا امپرومنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میں حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سکشن ۳۸ کے تحت جو پرچیزنگ پاور اس قانون کے تحت ملا ہے اور جو چھ لاکھ کی تعداد پروٹکٹڈ ٹیننٹس کی فیملی ہولڈنگ قائم کرتے وقت بتلائی گئی ہے کیا وہ حاصل ہوئی ہے یا نہیں - اگر نہیں تو اس کے معنی یہ کہ آج جو قانون بنایا گیا ہے وہ محض زمینداروں کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ ایسا قانون ہم بنانے والے ہیں تم اپنی احتیاط کرلو تو یقیناً یہ قانون پیپر کی زینت ہو کر رہیگا اور در اصل اس کا مقصد لینڈ ریفارمس نہیں ہے -

شری داور حسین (نظام آباد) :- مسٹر اسپیکر سر- آج جو امر ایوان کے سامنے زیر بحث ہے وہ حکومت کا وہ نوٹیفیکیشن ہے جو ہاؤس کے ٹیبل پر رکھا گیا ہے -

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—क्या ऑनरेबल मेंबर लॅन्ड कमिशन के मेंबर हैं ?

شری عبدالرحمن (ملک پیٹھ) :- پوائنٹ آف آرڈر- کیا کمیشن کے ایک ممبر اس رپورٹ پر اپنے خیالات ظاہر کرسکتے ہیں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں- میں ایوان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ راجیہ سبھا میں ایک سوال آیا تھا اور ڈاکٹر امبیڈکر جو اس کمیشن کے ممبر تھے اوس کی رپورٹ پر کہنا چاہتے تھے تو اوس وقت وہاں کے ڈپٹی چیرمن جو صدارت کررہے تھے انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کو تقریر کرنے سے منع کیا - ابھی کل کی بات ہے -

شری ادھو راؤ پٹیل :- مسٹر اسپیکر سر - یہ کنونشن ڈالنا چاہئے کہ جو سلکٹ کمیٹی کے ممبرس ہوتے ہیں یا کسی کمیشن کے ممبرس ہوتے ہیں وہ اوس کی ڈبیٹ میں کچھ نہ کہیں - ورنہ کمیٹی کا ایک ممبر جو متفق ہے کچھ کہیگا

اور جو ڈسنٹنگ (Dissenting) ممبر ہے اس کے خلاف کہے تو ھاؤس کی ڈگنٹی (Dignity) نہیں رہتی ہے - چاہے رولس میں گنجائش ہو یا نہو ایسا کنونشن ڈالنا چاہئیے -

شری داور حسین :— میں اسپیکر صاحب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کنونشن ہمارے پاس پہلے ہی سے موجود ہے اور سلکٹ کمیٹی کے ممبران نے تقریریں کی ہیں

مسٹر چیرمن : — اس قسم کی بحث کا یہ موقع نہیں ہے - یہ چیز بالکل علحدہ ہے -

شری داور حسین : — اسپیکر سر - جو نوٹیفیکیشن آج زیر بحث ہے وہ اس معزز ایوا کے بنائے ہوئے ٹیننسی ایکٹ کے دفعہ ۴ ضمن ۲ کے تحت ایوان کے ٹیبل پر رکھا گیا اور ظاہر ہے کہ جب اس کو ٹیبل پر رکھا گیا ہے تو ایوان میں بحث ہوسکتی ہے - چنانچ ضمن ۲ کے الفاظ یہ ہیں :-

"The Government shall determine the extent of land which shall be regarded as a family holding for each class n each kind of soil in all the local areas which may be determined for the State subject to the limits specified below, shall otify in the Jarida the 'local areas' and the extents so determined not later than six months from the date on which the Iyderabad Tenancy and Agricultural Lands (Amendment) Act, 1954 comes into force and shall lay a copy of the Notiication before the Legislative Assembly if it is in session, and if it is not in session when it next reassembles."

میں عرض کرونگا کہ آج ایوان میں جو امر زیر بحث ہے وہ کمیشن کی رپور نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے اور نوٹیفیکیشن کا کوئی جزو قانون کے خلاف پڑتا تو آیا اوسے آلٹرا وائرس قرار دینا ہے یا نہیں ....

(Interruptions)

Mr. Chairman: Order, order.

شری داور حسین :— میں جناب کی رولنگ لینا نہیں چاہتا - دراصل اس وقت زیر بحث امر کیا ہے - یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ نوٹیفیکیشن ہے یا کمیشن کی رپورٹ - کمیشن ج مقرر ہوا ہے وہ گورنمنٹ کے ذاتی اختیارات سے مقرر نہیں ہوا بلکہ اس معزز ایوان کے پاس شد قانون کے تحت کمیشن بنا ہے - دفعہ ۸۷ (اے) جس کے تحت لینڈ کمیشن بنا ہے وہ میں ایوا کی توجہ میں لاتا ہوں -

شری عبدالرحمن :— ہم جانتے ہیں -

شری داور حسین :— جاننے دیجیئے -

Mr. Chairman: Order, order.

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मैं ऑनरेबल की तवज्जह पॅरेग्राफ अेक की तरफ दिलाना चाहता हूं।

"Whereas the Hyderabad Land Commission established under section 87 of the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, 1950 (XXI of 1950) has submitted its recommendations for delimitation of local areas and determination of the extent of the family holdings and the Government accepted the said recommendations........"

Therefore, this notification is issued.

مسٹر چیرمن :— اس بارے میں رولنگ دی جا چکی ہے کہ رپورٹ پر ڈسکشن ہوسکتا ہے -

شری داور حسین :— جب معزز اسپیکر نے رولنگ دی ہے تو میں اس کو چیلنج نہیں کررہا ہوں لیکن میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں بغیر انٹرپشنس کے بیس منٹ میں کہنے دیا جائے - دفعہ ۸۷ (اے) ضمن (۲) کے الفاظ یہ ہیں-

"Subject to the provisions of this Act and any rules which may be made by the Government in this behalf it shall be the duty of the said Commission to advise the Government in fixing the extent of the basic and family holdings, and the areas to which they apply in matters relating to assumption of management of acquisition of lands by the Government......."

آج جو رپورٹ ہے وہ اس ایوان کے بنے ہوئے قانون کے تحت عطا کردہ اختیارات کے تحت کمیشن نے پیش کی ہے - اس قانون کے تحت جو فیملی ہولڈنگ ہے اس میں کمیشن کو کیا حدود اپنے پیش نظر رکھنا چاہئیے وہ بھی معزز ایوان نے رکھے ہیں - اس کو بھی میں ایوان کی توجہ میں لانا چاہتا ہوں - دفعہ ۴ ضمن (۱) کے الفاظ یہ ہیں -

"Subject to and in accordance with the provisions of this section, the Government shall determine in the manner prescribed for all or any class of land in any local area or of a family holding which a family of 5 persons including the Agriculturist himself cultivates personally according to local conditions and practice and with such assistance as is customary in Agricultural operations which area, will yield annually a produce the value of which after deducting fifty per cent. therefrom as cost of cultivation, is Rs. 800 according to the price levels prevailing at the time of determination".

اس معزز ایوان کے بنائے ہوئے قانون میں پلو یونٹ یا ورک یونٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے - اس میں صاف طور پر یہ صراحت کی گئی ہے کہ پچاس فیصد اخراجات کی منہائی

کے بعد آٹھ سو روپیے کی نٹ انکم یا دوسرے الفاظ میں سولہ سو کی خام پیداوار کی زمین کی فیملی ہولڈنگ قرار دیاجائے - لیکن یہ بحث آج اس ایوان میں مختلف طریقوں سے مختلف آنریبل ممبرس نے پیش کی - میں یہ کہنا چاھتا ھوں کہ کمیشن نے بہت سی چیزوں کے ساتھ پلو یونٹ اور ورک یونٹ کو بھی ضرور اپنے پیش نظر رکھا لیکن اس کے پیش نظر جو بہت اھم چیز تھی وہ وھی تھی جس کا اختیار اس معزز ایوان نے دیا تھا - وہ سولہ سو روپیہ پیداوار کی زمین تھی - اس لحاظ سے یہ کہنا کہ پلویونٹ سے تجاوز کیا گیا ھے یا ورک یونٹ سے تجاوز کیا گیا ھے صحیح نہیں ھے -

ایک اور چیز میں عرض کرنا چاھتا ھوں - یہ کہا گیا ھے کہ کمیشن کی رپورٹ یونانیمس (Unanimous) نہیں ھے - صرف ایک ممبر نے اتفاق کیا ھے - صحیح نہیں ھے - ان اشخاص کے نام جنھوں نے کمیشن کی فائنڈنگس (Findings) پر دستخط کئے ھیں رپورٹ میں موجود ھیں - انہوں نے کمیشن کے آفس میں دستخط کئے ھیں -

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—यह आपको कैसे मालूम हुआ कि वहां दरखास्ते आयी हैं ?

شری داور حسین :— میں بھی اس کمیشن کا ایک ممبر تھا -

Shri V. D. Deshpande: The hon. Member speaking as hon. Member of this House and not as a member of the Land Commission.

Mr. Chairman: The hon. member cannot disclose all those things.

شری داور حسین :— راجہ رام صاحب نے کمیشن کے ایک ڈسنٹنگ ممبر کی حیثیت سے دستخط کی ھے لیکن صرف اصولی طور پر وہ ایکٹ سے اختلاف کرتے ھیں کہ فیملی ہولڈنگ پلو یونٹ (Plough unit) ھونا چاھئے یا ورک یونٹ ھونا چاھئے - لیکن ظاھر ھے کہ صرف پلو یونٹ یا ورک یونٹ پر فیملی ہولڈنگ مقرر کرنیکا کمیشن کو اختیار نہ تھا کیونکہ اسکواس معززایوان نے مسترد کردیا ھے بلکہ کمیشن کو آٹھ سوروپیہ خالص آمدنی ھی دیکھنے کا اختیار تھا - چنانچہ راجہ رام صاحب نے اپنے ڈسنٹنگ نوٹ میں بھی اس کی صراحت فرمائی ھے -

اس کے بعد میرے ایک محترم دوست جو کمیشن کے رکن اور اس ایوان کے بھی معزز رکن ھیں اور جن کے ساتھ کلیگ (colleague) کی حیثیت سے کام کرنے کا مجھے اتفاق ھوا انہوں نے کمیشن سے باھر آکر یہ نتیجہ برآمد کیا کہ کمیشن کی کوئی ضرورت ھی نہ تھی کہ فیملی ہولڈنگ مقرر کرنا کمیشن کے لئے ھیومنلی امپاسیبل (Humanly impossible) ھے - ھیومنلی امپراکٹیکبل (Humanly Impracticable) ھے - انہوں نے کمیشن کی رپورٹ کو صحیح معنوں میں مطالعہ نہیں فرمایا اگر وہ کرتے تو یقیناً ایسے اعتراض نہ فرماتے -

معزز ایوان اس سے واقف ہے کہ جب کمیشن اون کے مقامات پر پہنچا تو اس نے اس ایوان کے معزز ممبران اور نیز مقامی لوگوں کی خدمات سے استفادہ کیا ۔ انہوں نے کسانوں سے استفادہ کیا ۔ گرما اور موسم بارش کے زمانے میں جب کہ مقامی عہدہ دار بھی دورہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں بلا لحاظ اوقات کمیشن کے ارکان نے دورہ کیا ۔ موسم کی خرابیوں کا انہوں نے کوئی احساس نہیں کیا ۔ ان پر سن اسٹروک (Sun Stroke) ہوا اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی ....

مسٹر چیرمن :— بہتر یہ ہوگا کہ آپ رپورٹ کی تائید میں کچھ کہیں ۔

(Laughter)

شری داور حسین :— جو بیانات دورہ کے وقت وہاں کمیشن کے سامنے دیئے گئے اون کے لحاظ سے کمیشن نے سولہ سو روپیے خام پیداوار کی زمین کا تعین کیا ۔ سارے اسٹیٹمنٹس (Statements) موجود ہیں جنکی بناء پر کمیشن نے نتائج اخذ کئے ہیں ۔ اور گورنمنٹ کو اپنے نوٹیفیکشن کے نتیجہ پر پہنچنے میں جو ممد و معاون ہوئے ہیں اوس کو ملاحظہ فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی نتیجہ یہاں کے ارکان بھی اخذ کرینگے جو کمیشن نے ارکان نے یا گورنمنٹ نے اخذ کیا ہے ۔ کمیشن کا مطمح نظر یہ تھا کہ ملک اور قوم کو فائدہ پہنچے ۔ اس موقع پر کمیشن کی پراکٹیکیبلیٹی یا امپراکٹیکیبلیٹی (Impracticability) سے متعلق کچھ کہنا یا اوس کی رپورٹ کے ان اجزا پر جنہیں امپراکٹیکیبل ظاہر کیا گیا ہے اعتراض کرنا کس حد تک درست ہوسکتا ہے خود معزز ارکان غور فرماسکتے ہیں ۔ میں اس چیز کو معزز ایوان کے احساس فرض پر چھوڑتا ہوں ۔ ہوسکتا ہے کہ کچھ چیزیں اعتراض کے قابل ہوں ۔ ہوسکتا ہے کہ چند چیزوں پر کمیشن نے غور نہ کیا ہو کمیشن نے خود اپنے بیان میں واضح کردیا ہے کہ اوس کی رائے کن بنیادوں پر ہے اور اوس کے تجاویز کی بیاکنگ (Backing) کیا ہے ۔ معزز ارکان کے گھروں پر ہمیں دورہ کمیشن کو گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ اون معزز ارکان کے خیالات سے بھی استفادہ کیا ہے کمیشن کی رپورٹ خود اون کے خیالات کے استفادہ پر مبنی ہے ۔ لہذا میں معزز اسپیکر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ....

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—ऑनरेबल मेंबर जो तकरीर कर रहे हैं, अुससे हमें कोअी अेतराज नहीं है लेकिन मैं यह बताना चाहताहूं कि कमिशन के मेंबर की हैसियत से तकरीर नहीं कर सकते हैं। अुन्हें अेक अेम. अेल. अे. की हैसियत से तकरीर करनी चाहिये । कमिशन में जो बातें हुअीं अुसे वे यहां पर रेफर नहीं कर सकते हैं । जितनी मालूमात हाअुस के मेंबरो को हैं अुतनी ही मालूमात अुन्हें भी हैं अैसा माना जायेगा । कमिशन में जो बातें हुअी अुसे वे डिसक्लोज (Disclose) नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे यहां अेक मेंबर की हैसियत से बोल रहे हैं ।

شری داور حسین :— میں عرض کرونگا کہ کمیشن کے کسی عمل سے متعلق احتجاج کیا جائے اور وہ ارکان یہاں موجود ہوں تو ....

مسٹر چیرمن :— کمیشن کے طریقہ کار یا آنریبل ممبرس کے بارے میں ریمارک

شری داور حسین :— چونکہ اعتراض کیا گیا تھا اس لئے ......

شری پنڈم واسدیو (گجویل) :— اعتراض کا سب کو حق رہتا ہے۔

شری داور حسین :— ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ کمیشن نے اپنی رپورٹ ریوینیوبیسس (Revenue basis) پر مبنی کی ہے ۔دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے ریوینیوبیسس کو نظرانداز کیا گیا ہے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوس اعتراض کے وقت کمیشن نے جو راستہ اختیار کیا تھا اوسکو نظر انداز کردیا گیا ہے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایلڈ (Yield) ریوینیو اور کلاسیفیکیشن آف سوائیل کو ھم نے ریوینیوبیسس کے ایک جزوکی حیثیت سے رپورٹ میں ملحوظ رکھا ہے ۔ جس حد تک ریوینیو بیسس سے ہم استفادہ کر سکتے تھے ہم نے استفادہ کیا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بالکلیہ مالگزاری کے عنصر کو نظر انداز کردیا گیا ہے یا کلیتہ مالگزاری کی بناء پر رپورٹ مرتب کی ہے ۔

श्री. रुक्माजी घोंडीबा पाटील (आष्टी) :—मौजूदा रुकन अेक जिम्मेदार रुकन हैं और अुन्हें अिसके बारें में काफी जानकारी भी है। सब लोगों के भाषण होने के बाद अगर वे अपनी तकरीर करें तो मुनासिब होगा अैसा मेरा ख्याल है।

شری داور حسین :— اس کے بعد کمیشن کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ لوکل ایریا کسطرح بنانا چاھئے ۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک اڈوائزری باڈی ہے۔ کمیشن کے سامنے ایسے تجاویز آئے کہ دو آنے ۔ چار آنے ۔ آٹھ آنے کلاسیفیکیشن کی زمین کے لئے بھی الگ الگ فیملی ہولڈنگ بنائے جائیں ایسے تجاویز بھی آئینگے کہ مرھٹواڑی کے لئے الگ ۔ تلنگانے کے لئے الگ اور کرناٹک کے لئے الگ لوکل ایریاز بنائے جاسکیں ۔ ان حالات کے تحت کمیشن نے جو مناسب سمجھا اوسکو گورنمنٹ کے سامنے پیش کردیا ۔ اب نتائج کا اخذ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اون بنیادوں پر گورنمنٹ نے جو نتائج اخذ کئے وہ خلاف قانون نہیں ھیں ۔ بعض اراکین نے یہ اعتراض کیا کہ کمیشن نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ جس مقام پر کمیشن نے یہ محسوس کیا کہ سولہ سو کی پیداوار کے لئے کسقدر زمین ضروری ہے تو صاف طور پر آپ کے سامنے پیش کردیا گیا کمیشن نے بہت سی جگہ یہ محسوس کیا کہ لمٹ (Limit) کے اندر پیداوار اتنی بر آمد نہیں ہوگی مثلاً تری کے چھ ایکر میں سولہ سو کی پیداوار بہت سی جگہ برآمد نہیں ہوتی ۔ ظاہر ہے کہ آٹھ آنے سے کم کلاسیفکیشن کے لئے ۹ ایکر کا رقبہ معین کیا گیا لیکن بطور واقعہ تری میں آٹھ سے کم کلاسیفکیشن نہیں ھوتا یہ تمام چیزیں معزز گورنمنٹ کے پاس ہم نے پیش کردی ھیں ۔ اور یہ بھی بتادیا کہ کسقدر رقبہ سے البتہ سولہ سو کی پیداوار برآمد ہو سکتی ہے ۔ یہ رقبہ آیا قانون کے حدود متجاوز کر کے مقرر کیا جاسکتا ہے یا خاص اختیارات کو استعمال کر کے حد بندی کیجا سکتی ہے۔ اس پر غور کرنا حکومت کا کام تھا میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں اور خود اس معزز ایوان نے (For all Classes of land) کے الفاظ میں فیملی ہولڈ نگ مقرر کرنیکا جو اختیار دیا ہے اوس کے مد نظر گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ جملہ کلاسس کی اراضی کے لئے ایک فیملی ہولڈنگ مقرر کرے جو کسی طرح خلاف قانون

ایک اور چیز اراضیات زیر باؤلی کو خشکی میں شامل کرنے سے متعلق معزز ارکان نے فرمایا - اس کے متعلق مختلف بحثیں ہوئیں - بعض ارکان یہ قرار دیتے ہیں کہ تلنگانے کے رقبہ کو خشکی نہیں قرار دینا چاھئیے - بعض مرھٹواڑی کے رقبہ کے متعلق کہتے ہیں کہ خشکی میں شامل کرنا چاھئیے - زیر باؤلی کاشتکاری میں کاشتکار اپنی محنت سے اراضی سینچتا ھے - زیر باؤلی کے رقبہ کو مستقل طور پر معین کرنا مشکل ھے کیونکہ ایک سال وہ مشرق میں کاشت کرتا ھے تو دوسرے سال مغرب میں - کبھی کسی رقبے میں کاشت کرتا ھے تو کبھی کسی رقبے میں - پھر یہ بھی کوئی قانونی پابندی نہیں ھے کہ جو رقبہ زیرباؤلی کاشت ھوتا ھے وہ مستقلا زیرباؤلی ھی کاشت ھوتا رھے جبکہ غیرمعمولی مصارف اس کاشت پر کرنے پڑتے ھیں - ان تمام امور پرغور کرنے کے بعد اسکوخشکی کے تحت قرار دیا گیاھے جو درست ھے نظام آباد کے نیشکر کے رقبہ میں سولہ سو روپیہ کی پیداوار ایک ایکر کے رقبہ میں ھوسکتی ھے - معزز ارکان کو بتاناچاھتاھوں وھاں جو اعدادجمع کئیے گئیے تھے اون سے پتہ چلتا ھے کہ مستقلا نیشکر کی جو کاشت کرتے ھیں وہ صرف وھاں کے بڑے فارمس کرتے ھیں - بیشتر چھوٹے کاشتکاروں کا حصہ وھاں بھی دھان کی کاشت ھی کرتا ھے علاوہ ازیں دو سال میں نیشکر کی فصل تیار ھوتی ھے اسکے بعد وھاں سے روٹیشن کیا جاتا ھے اور چوتھے سال پڑاؤ چھوڑا جاتا ھے تاکہ زمین کو آرام ملے - اس لحاظ سے جو رقبہ معین کیا گیا ھے وہ صحیح ھے - ان تمام حالات کے لحاظ سے معزز ایوان سے عرض کرونگا کہ کمیشن نے کسی جگہ اپنے فرائض سے کوتاھی نہیں کی ھے - اور اگر آپ یہ سمجھتے ھیں کہ اوس نے اپنے فرائض سے کوتا ھی کی ھے تو سنسیور (censure) کریں کھلے دل سے اعتراض کریں اور اس پر ملامت کریں - لیکن جس حد تک انہوں نے مفید کام کیا ھے وہ اسی ایوان کے ایک تعمیل کنندہ کی حیثیت سے کام کیا ھے محض اعتراض کی بجائے کنسٹرکٹیو (constructive) تنقید ھوتو ھمت افزائی کے قابل ھوتی ھے - ھمیں حالات پر غور کرکے تنقید کرنی چاھئیے - اتنا کہتے ھوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ھوں -

श्री. गोविन्दराव नरसिंगराव मोरे (कंधार-आम) :—जिस रिपोर्ट पर जो डिसकशन हो रहा है, अुसमें बहुत से अुजरात अुठाये गये और वह बडी हद तक सही हैं। हमने दफा ४ के तहत फैमिली होल्डिंग (Family Holding) का तायुन करने की गरज से लॅंड कमीशन अिसलिये मुकर्रर किया था कि हम कुछ सही नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन रिपोर्ट के पढने से जैसा कि बहुत से मेंबरों ने कहा कि पहाड खोद कर चूहा निकाला गया है लेकिन में तो कहूंगा कि यह हमारे अेग्रीकल्चरल अेकॉनामी के गोदामोंमे अेक घूस छोड दी गयी है। किसान के अर्थ शास्त्र के गोदाम को बडी बडी भेंगें गिरा देगी। जिस वक्त कमीशन के मेंबरों का तकर्रुर हो गया हम समझते थे कि यह ज्यादा फायदेमंद काम नहीं होगा। तेलंगाने की हद तक अच्छे माहरीन वहां थे, अिसलिये वहां अच्छी फॅमिली होल्डिंग हो सकी, लेकिन मराठवाडे का रिप्रेजेंटेशन (Representation) सही तरीके से न होने की वजह से मराठवाडा और करनाटक में अिसका बुरा असर पडनेवाला है। वहां की फॅमिली होल्डिंग्ज अच्छी से अच्छी जमीन के लिये २१ अेकड है।

अेक आनरेबल मेंबर :—ज्यादा होना चाहिये।

श्री. गोविंदराव नरसिंगराव मोरे :—हां, ज्यादा होना चाहिये । यह काश्तकारों के कानून जो सिर्फ किताबी दुनिया में काश्तकारी अुसूल पढ कर राय कायम करते हैं, अुनके लिहाज से ठीक हो गया है , लेकिन २५ अेकड के काश्तकार को अगर आप पूछें कि चार या पांच आदमियोंकी फैमिली के लिये क्या यह होल्डिंग काफी हो गयी है, तो वह क्या कहेगा ? आप कहेंगे कि फॅमिली होल्डिंग कम होने से ज्यादा से ज्यादा जमीन तकसीम हो जायेगी तो फायदा होगा, अैसा नहीं है। जो अीमानदारी से काश्त करना चाहता है,वह बहुत छोटी फैमिली होल्डिंग से जरूरी आमदनी पैदा नहीं कर सकता । मैं मानता हूं कि फॅमिली होल्डिंग जितना कम करेंगे अुसके मुताबिक लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन (Distribution) होगा, लेकिन अिस वक्त के हालात से फॅमिली होल्डिंग मुकर्रर करें तो वह अैसा होना चाहिये कि जिससे काश्तकार अपनी जिंदगी बाअिज्जत बसर कर सके। अेकबात अिसमें कही गअी है कि कमीशनने अिससे बचनेके लिये समझिये या और किसी वजह से हो, दस साल का रेनफॉल (Rainfall) बताया गया है। सफे ४६ पर परभणी, नांदेड, करीमनगर और मेदक अिनको देखें तो अुनका रेन फॉल ३० या ३२ अिंचेस बताया गया है । अिस तरह से नांदेड के बारे में कहा गया है और अिस पर से वहां की यील्ड (Yeild) का तायून किया गया है । हर यील्ड ५५ रुपये बताया गया है । अगर यह हो तो आज के हालात में कम से कम फॅमिली होल्डिंग २८ अेकड से भी ज्यादा होना चाहिये । बाज जगह २१ और बाज जगह ३६ अंकड भी रखा गया है। अुधर तेलंगाने में आठ आने के नीचे की जमीन का खयाल रखा गया है, लेकिन मराठवाडे और कर्नाटक में आठ आने की जमीन ही नहीं है, अैसा कह कर टाल दिया गया है । अिससे हमारे काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ है । अिसलिये अिस फॅमिली होल्डिंग पर नजरसानी करनी चाहिये । अगर मेंबर माधवराव कमिटी की नोटीस देखते तो अितने बयानात भी लेने की जरूरत नहीं थी । काफी बयानात और स्टेटमेंटस कमिटी ने लिये , रेकार्ड देखे गये । जंग के जमाने में तो प्राअिसेस बढी हुअी थीं । अुस वक्त के पैदावार के आंकडे लिये जाते तो अुनको मालूम हो सकता था कि कितने फॅमिली होल्डिंग रखने की जरूरत है । रेवीन्यू डिपार्टमेंट के कागजात को देखकर ही आखिर अिस नतीजे पर पहुंचनेवाले थे तो अिस तरह की बदतरीन फॅमिली होल्डिंग मराठवाडे और कर्नाटक के लिये नजर नहीं आती । अेक आनरेबल मेंबर ने कहा कि अगर आप फॅमिली होल्डिंग बढायेंगे तो काश्तकार का फायदा नहीं होगा, अुसमें अुसकी गुजर बसर नहीं होगी । अुन्होंने अपना खर्च बताया । बावजूद अिसके कि फॅमिली होल्डिंग छोटा करने से बडे जमीनदार खतम हो जायेंगे अैसा वे समझते हैं । आपका कानून आने के पहिले ही अुन्होंने अपनी जमीनात का बंटवारा कर लिया है । अिसलिये मैं कहता हूं कि यह अेक फॅमिली होल्डिंग का भूत हमारी अॅग्रेरियन अेकॉनामी में छोडा गया है । अिसलिये ड्राय लैन्ड के लिये नजरसानी होनी चाहिये । वह न की जायेगी तो काश्तकारों को नुकसान होगा । फॅमिली होल्डिंग छोटा होने से जमीन की तकसीम करनी पडेगी अैसा आपका कहना है, लेकिन आप नहीं जानते कि ढाअी ढाअी अेकड के लिये पांच पांच कत्तल मराठवाडे में हुअे हैं । आप कहते हैं कि अिससे रेव्होल्यूशन (Revolution) होगा लेकिन मैं समझता हूं कि यह अेंटीरेव्हल्यूशन (Anti-revolution) हो जायेगा । नांदेड जिले में बाज जगे तीस अेकड फैमिली होल्डिंग बनाया गया है । कंधार को तो दो हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिये था, जिसकी वजह यह बताअी गअी है कि अैसा नहीं करते तो गिरदावर सर्कल को तोडना पडता और अुससे बहुत मुश्किल हो जायेगी ।

मैं अर्ज करूंगा कि जो फॅमिली होल्डिंग कायम की गअी है अुस पर फिर से नजरसानी होनी चाहिये अगर काश्तकार अेक या दो अेकड में भी अिज्जत के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है तो अुसीको आप फॅमिली होल्डिंग करार दें। नहीं तो अितनी जमीन को फॅमिली होल्डिंग करार दिया जाना चाहिये जिससे वह अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकेगा। अितना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री. रुखमाजी घोंडीबा पाटील:—अध्यक्ष महोदय, अिस लैंड कमिशन की रिपोर्ट पर अिधर और अुधर से जो बहस हुअी, अुसको सुनने के बाद मुझेभी अिच्छा हुअी कि मैं भी अिस पर कुछ कहूं। वक्त का तकाजा और मौजूदा हालात को देखा जाय तो अिस रिपोर्ट से बहुत ज्यादा नुकसान होनेवाला है, अैसा कहने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। अिस वक्त मौजूदा हालत को मद्देनजर रखते हुअे अिस रिपोर्ट की ताअीद करने के लिये खडा हुआ हूं। रिपोर्ट में कानून के अल्फाज का पालन करते हुअे जो सोलह सौ रुपये फॅमिली होल्डिंग के लिये तय किये हैं, अुसमें आधा हिस्सा खर्च का निकाल दिया जाय तो आठ सौ रुपये बच जाते हैं। मैं मराठवाडे की हद तक कहता हूं कि वहां के मजदूर को कम से कम १२ आने से अेक रुपये तक रोजी मिलती है। अगर मजदूरों के पांच लोगों की अेक फैमिली काम करे तो साल भर में करीब १६०० रुपये होते हैं और काश्तकार के पांच आदमियों की अेक फैमिली अगर अेक फैमिली होल्डिंग की जमीनमें मेहनत कर के जो कमाती है वह भी १६ सौ रुपये होते हैं। यहां पांच आदमियों को आठ सौ रुपये बचते हैं तो जो खेत में मजदूरी करता है अुससे भी यह कम हो गया है, यानी आज के काश्तकारों की हालत अिस कानून के तहत मजदूरों से भी बदतर हो गअी है। यानी मजदूर और काश्तकार अेक ही किसम के हो गये हैं। देहातों में अस्सी परसेंट जो गरीब लोग-संख्या है, वह तो मसावी दर्जे पर आ गअी है। अिस कानून के तहत हम कह सकते हैं कि अपोजीशन का मसला और हमारा मसला अस्सी परसेंट पाप्यूलेशन तक तय हो गया है। अब रहा बीस परसेंट पाप्यूलेशन का सवाल। अिस रिपोर्ट पर और लैंड रिफार्म्स पर जो अेतराजात किये जा रहे हैं वे सही नहीं हैं। अिधर और अुधर वास्तव में जो खटकता है वह अिन बीस परसेंट लोगों के बारे में खटकता है, और वे लोग सरमायेदार हैं। साथ साथ अुसमें वकील, डाक्टर, कारखानेदार यानी कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं। सच पूछा जाय तो अिस सीलिंग के बारे में हाअुस में कोअी अेतराज नहीं है। जो कुछ अेतराज है वह अिन बचे हुअे बीस परसेंट लोगों के बारे में है, और गवर्नमेंट के लिये जो काम बाकी रहा वह अितना ही है कि अिन लोगों के लिये सीलिंग लागाना चाहिये। अब साढे चार फॅमिली होल्डिंग रखने से यह मसला तय होने वाला है या नहीं यह सवाल रह जाता है। देहात में जाकर लोगों से अुसके बारे में पूछेंगे तो अुनकी राय मालूम होगी। लैंड कमीशन के मेंबर और हम लोग अेकसां हैं। कानून को बरकरार रखते हुअे जितना कुछ हो सकता है, लैंड कमीशन ने किया है और जो रिपोर्ट अुन्होंने पेश की है, अुसके अलावा और अिससे बेहतरीन तरीके की रिपोर्ट हम या आप नहीं बना सकते हैं। अपोजीशन के पूरे के पूरे मेंबर्स भी कमिशन में रखे जायें तो वे अिससे बेहतर रिपोर्ट नहीं बना सकते। आज काश्तकार के दिल में अगर कोअी बात खटकती हो तो वह यह नहीं है कि अुसे ज्यादा जमीन दी जाय या कम लेकिन वह यह है कि जो जमीन हो वह बागायती जमीन हो। बेटा अेक ही हो लेकिन अिज्जत कमानेवाला हो। वह चाहता है कि जमीन कम मिले लेकिन वह बागायती

जमीन मिले। अिसलिये अपोजीशन को और हमको मिल कर यह तय करना चाहिये कि बागायती जमीन किस तरह से काश्तकार को मिल सकेगी। सौ अेकड खुश्की जमीन रहे तो अुससे कोअी फायदा नहीं होता। अेक दफा हमारे अिलाके में अकाल पडा तो पानी न होने की वजह से सब लोग दूसरी जगह चले गये। वहां अुनको पानी मिल सकता था। हमारे घर के कुछ लोग वहीं रहे क्योंकि अुनकी बावली में थोडा बहुत पानी मिल जाता था। बाद में रेवीन्यू वसूल करने के लिये अधिकारी आये। अुन्होंने देखा कि लोग वहां नहीं है, तो अुन्होंने जो लोग वहां हाजिर थे अुन्हीं से सारा रेवीन्यू वसूल किया। मेरे घर के लोगों ने गवर्नमेंट की मालगुजारी दे दी। बाद में वे कलेक्टर के पास गये। अुनको बताया कि यह कहां का अिन्साफ है कि सारी वसूली हम से की गअी? तो कलेक्टर ने कहा तुमने मालगुजारी दी अिसलिये पूरे गांव का पट्टा तुम्हारे नाम पर हो जायेगा। अिस तरह के अुस वक्त अधिकारी थे, गवर्नमेंट थी और अिन्साफ था। अिस तरह से देखें तो हमें अिस रिपोर्ट को बुरा नहीं समझना चाहिये। सौ अेकड रखनेवाले लोगों के पेट का मसला अिससे हल होता तो अकाल पडने पर वह दूसरे गांव में नहीं चले जाते। मेरा कहना है कि आपको अेतराज करना है तो वह बागायती जमीन के बारे में कर सकते हैं। मराठवाडे की जमीन नापीक है वह कम की जाय या ज्यादा की जाय, अुससे कोअी फर्क होनेवाला नहीं। मान लीजिये हमारे मुल्क में साढे तीन करोड अेकड जमीन है और आबादी पावने दो करोड है। अिस आबादी में से २० परसेंट लोगों को निकाल दिया जाय और बाकी लोगों में जमीन तकसीम कर दी जाय तो हर अेक मनुष्य के लिये अेक या सव्वा अेकड जमीन मिलेगी। अिस दृष्टि से हर अेक फॅमिली के लिये पांच अेकड बेगायती जमीन रहना जरूरी है। पेट भरने का मसला तभी हल होगा जब बागायती जमीन ज्यादा होगी।

अब बावलियों की जमीन को बागायती जमीन करार देने का सवाल हमारे सामने अुठाया गया है। मैं जानता हूं कि गरीबों से हमदर्दी रखनेवाले सभी मेंबर अिस हाअुस में हैं, लेकिन हमारे अिलाकों में बावलियां खोदी गअीं, लेकिन बारिश न होने की वजह से पानी का लेवल नीचे गया। अैसी हालत में कैसे कहा जा सकता है कि बावलियों की जमीन को बागायती जमीन करार दिया जाना चाहिये? बागायती जमीन अुसको कह सकते हैं कि काश्तकारने मोट पकडने पर अुसको पानी मिल सके। लेकिन अिस तरह की बावलियों के नीचे आनेवाली जमीनात को बागायती जमीन करार दिया जाय तो गरीबों का बहुत नुकसान होगा। गवर्नमेंट अपनी पूरी ताकत तालाब बनाने के लिये खर्च करेगी और अिन बीस परसेंट लोगों पर सीलिंग कायम करेगी तब यह मसला हल हो सकता है। और तब हम आपके अेतराजात को मानने के लिये तैयार हो सकते हैं।

यह भी अेतराज किया गया है कि फॅमिली होल्डिंग रेवीन्यू बेसिस पर होना चाहिये, लेकिन आप नहीं जानते कि अेक जमाने में यह रेवीन्यू किस तरह से फिक्स किया गया था। पैमायेश पार्टियां जिस गांव में आती थीं अुस गांव के लोग चंदा जमा करके अुनको हजार दो हजार रुपये दे देते तो अुनके गांव का रेवीन्यू कम हो जाता था। पच्चीस साल तक मुसलसिल में देहातों की सेवा करता रहा हूं, अिसलिये ये चीजें मुझे मालूम हैं। अिस तरह से जो रेवीन्यू तय किया गया है अुसको बेसिस समझ कर अगर हम फॅमिली होल्डिंग तय करें तो कितना अन्याय हो सकता है किसका

अंदाजा किया जा सकता है। अुसमें जो गुंजाअिश अुस वक्त बतलाया गया है कि जो गांव रास्ते-पर होंगे, मार्केट प्लेस के नजदीक होंगे अुनका रेवीन्यू ज्यादा होगा लेकिन जो रास्तों से दूर होंगे या पहाडों के अंदर होंगे तो अुनका रेवीन्यू कम होगा। रेवीन्यू अेक जमाने में किस तरह से तय किया गया है वह मैंने तबलाया और अुस दृष्टि से रेवीन्यू बेसिस पर फॅमिली होल्डिंग रखना बिल्कुल गलत है। अुससे यह मसला हल होनें वाला नहीं है।

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

यह भी अेक अेतराज किया गया कि चराअी के लिये जमीन क्यों छोडते हैं ? अगर आप खुद काश्तकार होते तो आपको मालूम होता की चराअी के लिये जमीन छोडने की क्या जरूरत है ? जिसके पास चार पांच बैल जोडी है और अुसके जरिये वह अपनी काश्त करता है तो वह अपने बैलों को क्या खिलायेगा। अिस लिये चराअी के लिये जमीन छोडना बहुत जरूरी है अैसा मेरा ख्याल है। साढेचार फॅमिली होल्डिंग की जमीन पर्सनल कल्टिवेशन के लिये छोडी गअी है, तो अिनसे हो सकता है कि काश्तकार और मजदूर अेक जगह आ सकते हैं। पहले जो काश्त कार थे वे आज अुनकी जमीन जाने के कारण मजदूर होगये हैं। अिस लिये हद लगाअी गअी है कि साढेचार गुना फॅमिली होल्डिंग से ज्यादा जमीन कोअी नहीं रख सकता है। रेविन्यू की आमदनी बढाने की जिम्मेदारी भी सरकार पर रहती है। रेविन्यू अदा करने की जिम्मेदारी काश्तकार पर होती है। मालिक जो होता है अुसे रेविन्यू अदा करना पडता है। अिस लिये मालिक और मजदूर अलग हो सकते हैं। रेविन्यू अदा करने की जिम्मेदारी मालिक पर होनी चाहिये। अिस लिये आनेवारी बेसिस करने की गुंजायश नहीं है। वक्त काफी हो रहा है और अब मैं जल्दि ही अपनी तकरीर खतम करता हूं।

हमारे पास ज्यादा जमीन तालाब के नीचें लानें की जरूरत है। मराठवाडे में तालाबों के नीचें बहुत कम जमीन है। मराठवाडे के जमीन के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। The Bell was rung

यह कहा गया कि यह जो रिपोर्ट पेश की गअी अुससे हमें अिनसाफ नहीं मिलनेंवाला है, लेकिन यह मानना गलत है। आज कांग्रेस की पाप्युलर गव्हर्नमेंट है और अुन्होंनें यह रिपोर्ट आपके समाने रखी है तो अिनसाफ जरूर मिलेगा, अिसमें मुझे कोअी शक नहीं है। लेंड कमिशन के बारे में जो बहुत से अेतराजात अुठाये गये वह ठीक नहीं हैं। बोलने के लिये तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अुसमें सदाकत नहीं है। जमीन डिस्ट्रिब्यूशन के लियें मिले, अिस लिये सिलिंग जल्द से जल्द लागाने की जरूरत हैं, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा जमीन मिल सकें। अितना कहते हुअे मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

ಶ್ರೀ. ಎಲ್. ಕೆ. ಸರಾಫ್ (ರಾಯಚೂರು.) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಶಯರೇ,

ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೀ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅರಿಯದ ಹಲವು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗವಾದರೂ ಆಗಲೆಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು.

ಈ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನಿಗೆ ಆಭಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದೆ ಹೊಳೆಯದಿರದು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಕಮೀಷನ್ ಇವುಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ತರಹದ Understanding ಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದುವೇನೇ ಎಂದೆನಿಸುವುದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ್ಗೆ ತಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದ್ದುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಮೀಷನ್ನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. Preconceived notions have played a part in coming to the conclusions that the Commission has come to" ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದೇನೆಂದರೆ "Family Holding" ಕುಟುಂಬ ಹಿಡುವಳಿ : ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಮೀಷನ್ನಿನವರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಒಂದೆರಡು ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಎತ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು, ಒಂದು ಜೋಡು ಎತ್ತು ಕೆಲಸಮಾಡಿ ಅದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡು ಎತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಾಸರಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಾಗಹುದು ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಖರ್ಚಿನ ಬಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

"The Land Commission seems not to have taken into account at any rate one factor, that is the amount that would have to be invested upon the cattle in carrying on Agricultural operations".

ಈ ಮಾತು ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಂದರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯುವೇ ಅಲ್ಲದೆ Insurance, ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಒಂದು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ. ವಿಶೇಷ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು

ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಹಿಡುವಳಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಹಿಡುವಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನಿನ ಸದಸ್ಯರು ತಮಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಡ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಲಮಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಕಾನೂನಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನಿನವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಲಮಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಲಮನ್ನು ಕಾನೂನು ಮಸೂದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗ ಸರಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

"Section 4 of the Act was placed before the House as a clause of the Bill by the Government itself, but the Government seems to have even then had no confidence in its own recommendations to the House in the form of this Clause."

ಅದಕ್ಕೇನೇ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಾದ ಕೂಡಲೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಲಮಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತರದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸಿನ್ನ ನಿರ್ಣಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಎಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿವರವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಮುಂಚೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಮೀಷನ್ನಿನವರು ಹೇಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಹಿಡುವಳಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವರದಿಯ ೨೪ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ೬ನೆಯ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸರಾಸರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:-

"Simplicity of formulas can be achieved by broad averages and by providig enough latitude for variations."

ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

"As an illustration we may examine how latitude allowed would actually work upon both the landlords and tenants. If a Family holding calculated at 24 acres for a local area is for averages fixed at 30 acres the increase would operate as follows:"

ಹೀಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲಿಕರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ಕುಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮನಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ೨೪ ಎಕರೆಯಿಂದ ೩೦ ಎಕರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದೋ ಅಷ್ಟೇ ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಿತಕುಳಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಆರು ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ರಕ್ಷಿತ ಕುಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಫಲವಗಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಯೋ? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ ತನ್ನ ವರದಿಯ ೧೨ನೆಯ ಪುಟ, ಪ್ಯಾರಾ ೩೨ ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ:

"It would be worthwhile to see how and how far the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, as amended by the Amendment Act, of 1954, provides for fulfilling some of the main objectives of the Land Reform policies in the country. These objectives are:

(*i*) Augmentation of Agricultural production by a better system of land management;

(*ii*) Reduction of inequalities, inopportunities and income; and

(*iii*) Provision of security for tenants including opportunities for them to become owners of the land they cultivate".

ಈ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯದೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಫಲವಾಗಿವೆ, ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು (Chapter) ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ವರದಿಯೇನೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತಕುಳಗಳಿಗೆ "Security of Tenants" "Reduction of inequalities in opportunities and income" ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವರೇ? ನಾನೇನೋ ನಂಬಲಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ: ಅದರಿಂದ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾದ ವರದಿಯಾಗುವುದೆ ಹೊರತು ರಕ್ಷಿತಕುಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವರದಿಯಾಗಲಾರದು. ಯಾವ

ಭೂಸುಧಾರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ರಕ್ಷಿತ ಕುಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, ಯಾವ ಕಾನೂನು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತರಲಾಗಿತ್ತೋ ಅಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಮೀಷನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು (Irrational) ಎಷ್ಟು ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎರೆಭೂಮಿ ಎಂದರೆ, (Black Cotton Soil) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕಮೀಷನ್ನು ಎರೆಭೂಮಿ ಪರ್ಭಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷಗುಣಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ೭೪ನೆಯ ಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

"Deficit rainfall is a great handicap for Raichur District. Otherwise Sindanoor and Manvi might have ranked among the riches in the State".

ಆದರೆ ಇದೇ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಹಿಡುವಳಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನಿನವರಿಗೆ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ೩೦ ಎಕರೆಯನ್ನೇನೋ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅವರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತಪ್ಪು ಅಳತೆಯ ಕೋಲನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಫಿರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೂಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. (Simplicity) ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ ! ಇನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ೩೦ ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವತ್ತಾದ ಎರೆಭೂಮಿಸಿಗುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಸಾರಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ತರದ ಉಸುಬು ಭೂಮಿ ಇರತಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಭೂಮಿಗಳೂ ಉಂಟು.

"Not even a blade of grass in eastern parts of Raichur.

ಆದರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಹೇಳುವಾಗ ೩೦ ಎಕರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"One of the richest black-cotton soils has been clubbed with the worst variety of chalka lands where not even a blade of grass grows."

ಇದು Rational ಆಗಿದೆಯೆ? ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಎರಡೂ ಸಮನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು (argument) ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು,

ಇಂತಹ ಅಸಮಂಜಸ ವರದಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಸರಕಾರವೂ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಅವಸರದಿಂದ (Hastily) ಉಪಯೋಗಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಮಾಲಿಕರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹಿತ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ ಕುಳಕ್ಕಂತೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೇನೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

Half-an-hour Debate.

ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಯಲ್. ನರಸಿಂಹರಾವು (ಎಲ್ಲಂದು—ಜನರಲ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷಮಹಾಶಯಾ,

مسٹر ڈپٹی اسپیکر :— آپ ہندی میں فرمائیں تو زیادہ اچھا ہوگا اور منسٹر صاحب کو جواب دینے میں آسانی ہوگی -

شری کے - ایل - نرسمہا راؤ :— اسپیکر سر - تعلقہ یلندو کے موضع گادے پاڑو میں پولیس امین مادھو راؤ کے جو مسلسل مظالم جاری ہیں اس سلسلے میں میں نے اسمبلی میں کئی سوالات پیش کئے ہیں - وہاں کے اصلی واقعات کو جاننے کے بعد ہی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اصلی واقعات کیا تھے - یہاں جوابات غلط طور پر دیئے جاتے ہیں - وہاں کے عہدہداروں کی رپورٹ کی بناء پر کہدیا جاتا ہے - موضع کوٹلہ گوڑہ گاندھی نگر میں وہاں کے زمیندار جناریڈی جگناتھ ریڈی کی وہاں ذاتی زراعت بالکل نہیں ہے - وہ پوری کی پوری اراضی رعایا کے قبضہ میں ہے - بہ حیثیت ٹیننٹ وہ کاشت کر رہے ہیں - گذشتہ تین سال سے ان اراضیات سے ان لوگوں کو بیدخل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے - لیکن وہاں اس حلقہ کے سب انسپکٹر مادھو راؤ اور تحصیلدار لنکا وشوانادھم کے آنے کے بعد (جو وہاں کے زمینداروں سے مل گئے ہیں اور پیوٹ بھی ہیں - خیر میں اون کے ذاتیات پر حملہ کرنا نہیں چاہتا) وہاں کے حالات خراب ہوگئے وہ ٹیننٹس کو بیدخل کرنے میں زمینداروں کی مدد کر رہے ہیں - اونکے مشورہ پر زمیندار محبوب آباد سے غنڈوں کو لاتے ہیں اور کسانوں پر حملہ کیا جاتا ہے - کسانوں کی طرف سے رپریزنٹیشن (Representation) کرنے پر بھی کوئی توجہ نہیں کیجاتی ہے - وہاں افضل بی نامی ایک عورت پر ریپ (Rape) کرنے کی اون غنڈوں نے کوشش کی - اس کی پاداش میں اون غنڈوں پر مقدمات چلانے کی بجائے سب انسپکٹر نے مظلوم عورتوں اور انکے مردوں کو گرفتار کرکے اون پر جھوٹے مقدمات دائر کرنیکی کوشش کرتے ہیں اون کو مار پیٹ کرکے الزام کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں - ۱۰ - جولائی کو افضل بی کے ساتھ ریپ (Rape) کرنے کی کوشش کی گئی تھی اسکے باوجود ۱۶ - جولائی کو ان کو مار پیٹ کرکے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنی درخواست واپس لے لیں - اور انکو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر درخواست

واپس نہ لینگے تم و پر مقدمات چلائے جائیں گے ۔ وغیرہ وغیرہ ۔ ینکنا اور بھدریا جو مقامی ٹیننٹس ھیں انکے ساتھ ۱۷ - ۱۸ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ھے اور ان پر جھوٹے مقدمات دائر کئیے جاتے ھیں کہ زمیندار کی گڑھی پر انہوں نے حملہ کیا ھے لیکن وہ سراسر جھوٹ ھے ۔ ان واقعات کو جب کبھی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ھے تو ڈپٹی ھوم منسٹر صاحب واقعات کو صحیح نہیں مانتے ھیں ۔ آنریبل ھوم منسٹر شری دگمبر راؤ بندو فرماتے تھے کہ کسی واقعہ کا اظہار کرنے سے پہلے آپ خود وھاں جائیے ۔ تحقیقات کیجئیے اور اون واقعات سے خود مطمئن ھونے کے بعد اسکے متعلق ریپریزنٹیشن کیجئیے تو میں اون کی تحقیقات کرونگا اور جب میری تحقیقات میں کسی کی نا جائز حرکت ثابت ھوجائے تو میں ضرور اس کے خلاف اقدام کرونگا ۔ اون کے اس کہنے کی بناء پر ھمارے لیڈر شری وی ۔ ڈی ۔ دیشپانڈے نے بھی ھم کو ھدایت کی کہ ذاتی طور پر انکوائری (Enquiry) کرنے کے بعد جب واقعات صحیح ثابت ھوں تو رپورٹ کیجایا کرے ۔ چنانچہ میں اس واقعات سے متعلق تحقیقات کے لئیے خود شری وی ۔ ڈی ۔ دیشپانڈے کو بھی لے گیا ھوں ۔ ۱۶ ۔ اگست کو شری وی ۔ ڈی ۔ دیشپانڈے کے آنے کی اطلاع پاکر سب انسپکٹر نے وھاں کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی ۔ انکو دھمکیاں دی گئیں کہ ان کے خلاف بیان دیا گیا تو اچھا نہیں ھوگا ۔ وھاں ھم نے گھر گھر پھر کر حالات معلوم کئیے ۔ زخمی لوگوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ۔ وھاں سے آکر ھم لوگوں نے رپورٹ پیش کی لیکن جب ھم کو جواب دیا جاتا ھے تو نفی میں دیا جاتا ھے ۔ ھم جب کوئی سوال پیش کرتے ھیں اوس کے جواب میں مقامی عہدہ داروں کی پشت پناھی کیجاتی ھے ۔ میں یقین دلاتا ھوں کہ وھاں کے حالات کو دریافت کرنے کے لئے خود منسٹر صاحب ھمارے ساتھ چلیں تو وہ ھمارے بیان کی تصدیق کرسکینگے ۔ میں اون واقعات کو ثابت کرنے کے لئیے تیار ھوں ۔ ان لوگوں کو اسطرح مارا پیٹا گیا ھے کہ حیوانوں کو بھی کوئی اسطرح مارنا پیٹنا پسند نہ کریگا ۔ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے مجبوراً رعایا اراضیات سے بیدخل ھورھے ھیں ۔ جب ایسے واقعات ھم اسمبلی میں سوال کے طور پر پوچھتے ھیں تو وھاں کے مقامی افسروں کی رپورٹ کی بناء پر کہا جاتا ھے کہ ھمارا ریپریزنٹیشن غلط ھے ۔ اس سلسلہ میں آنریبل چیف منسٹر صاحب کو متوجہ کیا جائے تو وہ کلکٹر کو لکھتے ھیں کہ کلکٹر خود فوراً اس مقام پر پہنچ کر تحقیقات کریں اور یہ انتظام کریں کہ ٹیننٹس بیدخل نہ ھونے پائیں لیکن کلکٹر وھاں نہیں جاتے ھیں ۔ مجھے حیرت ھے کہ کلکٹر چیف منسٹر کے آرڈر نہیں سنتے ھیں ۔ سپرنٹنڈنٹ کو لکھا جاتا ھے تو وہ آخر وقت میں آتے ھیں ۔ مادھوراؤ سب انسپکٹر کے کئیے ھوئے مظالم کے متعلق اسمبلی میں سوالات کئیے گئے تو جواب دیا جاتا ھے کہ یہ غلط ھے ۔ ریپریزنٹیشن جھوٹ ھے ۔ میں آنریبل منسٹر کو دعوت دونگا کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور رعایا کے سامنے تحقیقات کرکے اون کے سامنے کہدیں کہ یہ ریپریزنٹیشن جھوٹ ھے ۔ اگر ریپریزنٹیشن جھوٹا ثابت ھوجائے تو میں اوس کے لئے تیار ھوں کہ ھم پر اس پاداش میں مقدمہ چلایا جائے ۔ آنریبل ھوم منسٹر ھم سے مطالبہ کرتے ھیں کہ ھم خود مقام واقعہ پر جائیں اور تحقیقات کرکے مطمئن ھونے کے بعد انکے سامنے ایسے واقعات پیش کریں جو حقیقت پر مبنی ھیں ۔ جب ھم ایسا کرتے ھیں

تو اوس پر کوئی توجہ نہیں کیجاتی اور کہا جاتا ہے کہ جھوٹ ہے - آخر اسمبلی کے ارکان کی باتوں کا بھی کوئی وزن ہے یا نہیں - جب ہم عہدہداروں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ منسٹر صاحب نے ہم کو حکم دیا ہے کہ بیدخل کریں- حتی کہ وہ نام بھی بتاتے ہیں کہ شری وینکٹ رنگا ریڈی صاحب نے حکم دیا ہے- چیف منسٹر صاحب کا آرڈر بھی کیوں نہ ہو ہمیں رنگا ریڈی صاحب کا آرڈر ہے ہم اسکی تعمیل کرینگے - ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی - ان کا یہ کہنا ہے -

مسٹر ڈپٹی اسپیکر :— مختصر طور پر بیان کیجئیے -

شری سری ہری (کنوٹ) :— کیا ان واقعات کو ثابت کیا جاسکتا ہے ؟

شری کے- ایل - نرسمہاراؤ :— ہاں میں ثابت کرنے کے لئیے تیار ہوں - میں نے خود کہا ہے کہ اگر نہ ثابت کر سکوں تو میرے خلاف مقدمہ چلایا جائے - بہر حال حکومت کے اس قسم کے جو جوابات ہوتے ہیں انکے خلاف میں پروٹسٹ (Protest) کرتا ہوں اور حکومت سے میری یہ استدعا ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات کی مناسب تحقیقات کرائے اور لوگوں کو ناجائز طور پر جو ستایا جارہا ہے اوس کے انسداد کی جانب متوجہ ہو - اتنا کہتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں -

डिप्युटी होम मिनिस्टर (श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर):—स्पीकर सर, अिस शार्ट नोटीस में जो सवाल किया गया है और अुसके बारे में जो बहस की गअी है अुसके मुतालिक में यह बताना चाहता हूं कि जो कुछ कहा गया वह अिस तरीके से कहा गया है की महज अेक जुल्म होता है और टेनन्टस को नाजायज तौर पर बेदखल करने की कोशिश की जा रही है और पुलिसवाले जुल्म कर रहे हैं और मिनिस्टर्स अुनको डीफेंड कर रहे हैं और हालांकि असेंबली के बहुतसे आनरेबल मेंबर्स वहां गये और अुन्होंने तहकीकात की अुसके बाद भी अिस रिपोर्ट में भरोसा नहीं किया जाता, अिस तरीके से बहस की गअी है। परसों असेंबली में जो सवाल आया तो अुस वक्त भी अिसी तरह हे कहा गया था। कब्ल अिसके कि हम कोअी अिल्जाम अेक दूसरे पर आयद करें, मसला क्या है अुसको समझने की जरूरत है। मसला यह बयान किया जाता है कि वहां पर किन्हीं जमीनात पर कुछ टेनन्टस हैं और अुनको वहां के जमीनदार पुलिस और माल के ओहदेदारों की अिमदाद से जबर्दस्ती बेदखल कर रहे हैं और टेनन्टस पर मजालिमं ढाये जा रहे हैं। पुलिस के हदतक जमीनात के बारे में जो सवाल आते हैं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि टेनन्सी के बारे में अुनको अहकाम दिये गये हैं कि जितने कब्जा या टेनन्सी के झगडे आते हैं तो वह कब्ल अिसके कि कोअी अेकदाम करे यामदाखलत करें ओहदारान माल से साफ तौर पर पूछ लें कि अुस जमीन का कौन प्रोटेक्टेड टेनन्ट है और कौन वाकअी काबीज है और बतौर खुद के कोअी अेकदाम अपनी तरफ से न करें। अिस वाक्ये के बारे में ओहदेदारान पुलिस ने क्या रवैया अेख्तियार किया अुसको बतलाना चाहता हूं। वहां की कुछ जमीनात के बारे में शिकायत की गअी कि यह जमीनदार हमको बेदखल करना चाहता है। अुसके बारे में दरयाफ्त शुरू हुअी। अुसके बाद वहां के तहसील ने अुनके टेनंट होने के बारे में अिनकार किया और जाहिर किया कि अुनके मालिक कोअी जन्ना रेड्डी हैं। अिसके बारे में जब पुलिस ने पहली

मर्तबा दरख्वास्त पेश हुअी अुसमें ज्यादा तर शिकायत मुन्तजिम माधवराव के बारे में की गअी है लेकिन वह् अिस तसवीर में बहुत आखरी स्टेज में आता है। पहले अिस मुकदमे की तफतीश वहां के सर्कल अिन्सपेक्टर और अे. अेस्. पी. कर रहे थे। पहली मर्तबा जब दरखास्त पेश हुअी तो सर्कल अिन्सपेक्टर ने तह्सीलदार से दरयाफ्त कि अुस जमीन का प्रोटेक्टेड टेनन्ट कौन है। और किसके नाम टेनन्सी सर्टिफिकेट अिजरा किये गये है। अुन्होंने जवाब दिया कि अिसके बारे में टेनन्सी सर्टिफिकेटस किसी के नाम पर अिजरा नहीं किय गये हे और अिसके मालिक जन्ना रेड्डी हैं। सर्कल अिन्सपेक्टर ने फिर पूछा कि गो के टेनन्सी सर्टिफिकेटस किसी को नहीं दिये गये रेकार्ड के लिहाज से हक्के काबजीन कौन है अिसकी सराहत की जाय ताकि हमको काबीज के हुकूमत की हिफाजत करने में मदद मिल सके। अिसके बाद जबाब दिया गया और १० जुलाअी १९५४ को कलेक्टर ने मौकेपर तफतीश करते हैं। अुन्होंने लिखा है कि—

...."I am therefore to conclude that this is a case of 'illegal obstruction' under the repealed Section 74 of the Land Revenue Act for which there is no relief from the Revenue Courts. As the petitioners could not fulfil the conditions of Section 5 of the Tenancy Act, their possession on the said land is deemed illegal and amounts to tresspass. Hence they are hereby ordered to be evicted therefrom under Section 98 read with Section 32(4) of the Tenancy Act, 1950."

यह हुक्म १० जुलाअी १९५४ को होता है। कलेक्टर ने यह भी अुनसे कहा कि वे ट्रेसपासर्स हैं। यह हुक्म सही है या गलत है अिसिके बारे में मैं यहां बहस करनेवाला नहीं हूं और जिस डिपार्टमेंट को तरफ से मैं जवाब दे रहा हूं अुस डिपार्टमेंट को यह देखने का हक नहीं है कि दरअसल अुस जमीन पर कोअी जायज तौर पर काबीज है या नहीं। मतलब यह है कि अिस तरह के हुक्म पुलिस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को दिये गये हैं। कलेक्टर ने हुक्म देने के बाद भी जो लोग टेनन्टस समझते थे अुनको मायूसी हुअी और अुसके बाद १५ जुलाअी को 'सो काल्ड टेनन्टस' ने दूसरे तरीके अख्तियार करने शुरू किये। जन्ना रेड्डी के मकान में दाखिल हो कर कुछ मदाखलत वगैरा के वाकयात किये जाते हैं। अिसके बारे में कहा जाता है कि यह वाक्या गलत है। लेकिन अिसके बारे में सर्कल अिन्सपेक्टर ने तफतीश की है और वहां पर अे. अेस. पी. मौजूद थे। जो माल मसरूख था वह अुनसे बरामद किया गया और अुसके बाद अदालत से मुहल्लत ली गअी। अेक दफा सात दिन की मुहल्लत ली और फिर अुनको अदालत में पेश किया गया। जो अिल्जामात लगाये गये कि अुनको पुलिस के हिरासत में मारा गया, पीटा गया और जुल्म हुअे अुसके बारे में दरयाफ्त की गअी तो पता चला कि अुनके बयानात अदालत में कलमबंद किये गये हैं। अदालत ने पुलिस ने अुनके साथ कोअी नारवां सुलूख किया है या नहीं अिसके बारे में सवाल किया लेकिन अुनकी तरफ से कोअी शिकायत नहीं की गअी। और न कोअी जख्म के बारे में नोट कराअी। अुन्होंने अिसके बारे में कोअी बयान नहीं किया। अिसके बाद भी अगर यहां पर शिकायत की जाय तो वह कहां तक सही हो सकती है अिस पर ऑनरेबल मेंबर्स को गौर करना चाहिये। मैंने अपने जवाब में कोअी मेंबर झूठ कह रहे हैं अैसा लब्ज अिस्तेमाल नहीं किया था। मुझे मालूम है कि ऑनरेबल मेंबर्स वहां गये हैं। थोडी देर ठहरे होंगे लेकिन सितही नजर से वाक्ये को देखा होगा।

लेकिन जिस तरीके से वाक्ये की दरयाफ्त करना चाहिये अुस तरीके से अुन्होंने नहीं की होगी अिसलिये सही वाकया अुनके अिल्म में न आया हो। यह हो सकता है। मैंने रिपोर्ट को पूरी तरह पढा और बाद में ही जवाब देने के लिये खडा हुआ। मैं अिसका आदी नहीं हूं कि ओहदेदारों के नाजायज करतूतों को पीठपर डालकर फिरूं। मैंने जवाब दिया है कि जब कभी कोअी गलती महसूस करता हूँ या कहां तक मेरे कान्शन्स का तालुक है—मुमकिन है कभी में भी गलती करता हूं—लेकिन आम तौर पर यह कोशिश करता हूं कि अगर मुझे गलत रिपोर्ट मालूम हुअी तो अुस पर कडे रिमार्क्स कर के वापिस करता हूं और अेक के बाद दूसरे से और दूसरे के बाद तीसरे से दरयाफ्त करता हूं ताकि मुझे अितमीनान हो। अिस रिपोर्ट को मैंने पढा तो मेरे कान्शन्स की हद तक मुझे अिसमें अैसी कोअी चीज नहीं मालूम हुअी जो कोअी बनाअी हुअी चीज हो। अिसलिये जहां तक मेमोरेंडम का ताल्लुक है दो चीजों की शिकायत की गअी है। अेक यह कि झूठ मुक़द्दमात बनाये गये और पुलिस ने हिरासत में मारा पीटा। अिसके बारे में मैं कह चुका हूं। दूसरी चीज यह कही गअी है कि अेक औरत पर हमला कर के अुसकी बेअिज्जती करने की कोशिश की गअी। अिसके बारे में मेरे पास जो रिपोर्ट है अुसकी बिना पर मैं अितना ही कह सकता कि अिसमें से अितना ही वाकया सही है कि वह औरत कहीं चष्में पर कपडे धोने या और किसी काम के लिये गअी थी, वहां चंद लोग जमा हुअे और अुसके बारे में वहां पर नाशायस्ता अल्फाज अिस्तेमाल किये गये। अिस हद तक वाक्या हुआ है। लेकिन अिसके आगे का वाक्या कि अुसपर रेप करने की कोशिश की गअी, जो रिपोर्ट मेरे सामने है अुसके लिहाज से अैसा वाक्या नहीं हुआ है। आगे चल कर रिपोर्ट में अुन्होंने बयान किया है कि परसनल अेन्क्वायरी मैंने की है और अिसमें मुझे अिसी हद तक सही वाक्या मालूम हुआ। अिसके बाद का स्टेज गलत मालूम होता है।

شری کے - وینکٹ رام راؤ (چنا کنڈور) :— ہم کو سپلیمنٹری (Supplementary) سوالات کا موقع کب دیا جائیگا ؟

مسٹر ڈپٹی اسپیکر :— خود جوابات تفصیل سے کہے جارہے ہیں تو سپلیمنٹری سوالات کی کیا ضرورت ہے ؟

شری کے - وینکٹ رام راؤ :— یہ بتلایا جائے کہ کیا کلکٹر کے فیصلہ کی تعمیل ہو رہی ہے ؟

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर:—कलेक्टर के हुक्म की तामीली हुअी अिसलिये झगडा शुरू हुआ। कलेक्टर की तामिली में जब लोग वहां काश्त के लिये गये और कब्जा पाये अुस वक्त झगडा शुरू हुआ। जो टेनन्टस समझते थे अुनका कब्जा न होने देने के लिये कोशिश की गअी। और कलेक्टर के हुक्म पर नाजायज जुर्म करने की किसी को अिजाजत नहीं दी गअी या अुनको रोका गया। पुलिस को वहां यह भी अित्तिला मिली थी कि वे लोग पांच छः सौ लोगों को लेकर जमीन पर कब्जा लेने के लिये आनेवाले हैं। अिसलिये पुलिस फोर्स लेकर सर्कल अिन्सपेक्टर्स और सबअिन्स-पेक्टर वहां पहुंचे। मौके पर जाकर अुन्होंने दरयाफ्त की तो मालूम हुआ कि वहां पर नहीं लेकीन दूसरे अेक गांव में लोग जमा हो रहे थे। और जो लोग जमा हुअे थे अुनके खिलाफ १०७ की कारँवाअी की गयी।

अिसके बाद कब्जे के बारे में कुछ कहा गया है। वह मेरे मुतालिक सवाल नहीं है। लेकिन

अिस रिपोर्ट से जितना मुझे पता चलता है अुस पर से मैं कहना चाहता हूं ।

مسٹر ڈپٹی اسپیکر :— رول (Rule) ایسا ہے کہ جواب مختصر ہونا چاہئے -

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—१९५० से लेकर १९५३ तक के कागजात में अुनके कब्जे का अमल कहीं भी नहीं है । यही अिस रिपोर्ट से जाहिर होता है ।

شری اے - گرواریڈی (سدی پیٹھ) :— مسٹر اسپیکر سر - چونکہ وقت ہورہا ہے سپلیمنٹری سوالات کے لئے پانچ منٹ کا کم سے کم وقت دیا جائے -

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—असली काबीजीन का रेकार्ड से ही पता चलता है । अगर किसी शख्स का नाम पहानी में नहीं है, मालगुजारी अदा करने के रसायद किसी के पास नहीं है, रेवीन्यू सर्टिफिकेटस नहीं है और यह कहा जाय कि काबिले कब्जा हम ही हैं तो कैसे चलेगा ? आनरेबल मेंबर्स खुद कानूनदां हैं, वे ही अिसका तसफिया कर सकते हैं । मालगुजारी जमीन के बारे में जब कब्जा होता है तो अुसके हक में कुछ डाक्यूमेंटरी अेवीडन्सेस होते हैं । मगर वह न होने पर भी आपका कब्जा मानने के लिये कहा जाय तो वह कैसे होगा । पुलिस मोहकमे की हद तक में यह बताना चाहता हूं कि माल अहकाम के बिना पर जिसको अुन्होंने कब्जा दिलाया और अुसके कब्जे की हिफाजत की या नाजायज काबीजीन को वहां नहीं आने दिया तो अुन्होंने कौनसा जूल्म किया यह मैं पूछना चाहता हूं । जब अेक सरिश्ते से किसी को काबिज़ करार दिया जाता है और अुसके खिलाफ कार्रवाअी की जाय तो अैसे वक्त पुलिस अमन कायम रखने के लिये कोशिश करें तो वह पुलिस का फर्ज है या जुल्म है ? अिसको भी अगर कोअी जुल्म समझता है तो अुसके लिये कोअी अिलाज नहीं है । मुमकिन है कि गरजमंद अशखास अिसको जुल्म समझते हों लेकिन यह जुल्म नहीं हो सकता । जहां तक अिस दरयाफ्त का ताल्लुक है मैं कहना चाहता हूं कि यह सरासरी दरयाफ्त है । पूरे वाक्यात ऑनरेबल मेंबर के अिल्म में नहीं आये हैं अिसलिये वे फिर अेक दफा वहां जायें और देखें।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—आप भी हमारे साथ आयें तो दोनों मिलकर देख सकते हैं ।

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—मैं भी आने की जरूर कोशिश करूंगा ,कोअी बात नहीं है लेकिन जो रेकार्ड मेरे पास है अुसकी बिना पर मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने कोअी जुल्म नहीं किया है । बल्कि अुसने अपना फर्ज अदा किया है । अिस लिहाज से आनरेबल मेंबर्स फिरसे अिसपर गौर करें ।

شری اے - گرواریڈی :— اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہانی پترک میں انکے نام ہیں تو آپ کیا کرینگے ؟

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—कोअी चीज देखने के पहले ही सवाल किया जाय तो वह हायपाथेटिकल सवाल हो जाता है ।

شری کے - ایل - نرسمہا راؤ :— کل صبح میں آپ کے پاس پہانی پترک کی نقل لا کر بتلا دوں کہ آپ کے پاس جو رپورٹ آئی ہے وہ غلط ہے توکیا آپ سپرنٹنڈنٹ (Superintendent) کو معطل کرینگے -

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—यह वाकया गलत है। सुपरिंटेंडेंट ने गलत रिपोर्ट की है अैसा मालूम हुआ तो अुसके खिलाफ बराबर अॅक्शन लूंगा।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मैंने अपनी दरखास्त में लिखा था कि सितारामपूर के छः आदमियों को गिरफ्तार कर के आलेंदू स्टेशन पर जब ले जाया गया तो माधवराव और लक्ष्मी रेड्डी ने अुनको मारपीट की। क्या अिसके बारे में आपने तहकीकात की और आपके पास क्या रिपोर्ट आअी है २६ अगस्त १९५४ को मैंने यह रिपोर्ट वहां से आने के बाद आपके पास दी थी।

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—मैंने कहा कि माधवराव ने अिस वाकये की तफतीश नहीं की बल्कि सर्कल अिन्सपेक्टर ने की है। माधवराव बहुत आखिरी स्टेज में आये हैं। जिस वाकये का जिक्र किया गया है अुसमें माधवराव का सवाल नहीं है। अिसलिये मारपीट का वाकया गलत है अैसा कहा गया है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—सर्कल अिन्सपेक्टर के साथ में खुद वहां गया था और सब-अिन्सपेक्टर भी वहां था। अुनको जिस आदमी को मारा गया था अुसकी जखम दिखाअी गअी तो अुन्होंने कहा कि अिसके बारे में मैं तहकीकात करूंगा। क्या अुन्होंने अिसके बारे में आपको अित्तिला दी है ?

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—आप कहते हैं कि जखम थे। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर अदालत के सामने अुन लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की जब कि अुनको मौका दिया गया था।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—कोअी वकील वहां नहीं था, अुनको डर था कि अदालत से निकलने के बाद फिर से अुनको मारपीट होगी अिसलिये अुन्होंने कोअी बयान नहीं दिया, क्या अैसा नहीं हो सकता ?

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—अिस वाकये के पसमंजर को देखा जाय तो मालूम हो सकता है। अेम. अेल. अेज. और अेम. पीज. अिसके बारे में कह रहे हैं। वे हर जगह कह सकते हैं कि पुलिस ने जुल्म किया ————

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:— हम लोग वाक्या होने के बाद वहां गये थे।

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—वह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब अेम. अेल. अेज. और अेम. पीज. अिसके बारे में कह रहे हैं, पुलिस के बारे में हर जगह वह कह सकते हैं यहां तक कि यहां आकर भी कहा जा रहा है तो वहां पर अदालत में कहना जरूरी क्यों नहीं समझा गया ?

شری کے - ایل - نرسمہا راؤ:— وکیل کو پیش کیا گیا تھا لیکن منصف نے وکالت پیش کرنے سے منع کردیا - ملزم وھیں رھتے ھیں انکی دستخط وکالت نامہ پر لینے سے انکار کیا جاتا ھے - وکیل کو بحث کرنے کا موقع نہیں دیتے ھیں -

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—मैंने वकील के नाते पचीस साल प्रेक्टीस की है। मैं नहीं समझता कि अदालत में आने से किसी वकील को रोका जा सकता है। मैं अिसको सही नहीं समझता।

شری کے - ایل - نرسمہاراؤ:— وہ تقولات بھی میرے پاس ھیں میں پیش کرونگا -

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—अदालत किसी को वकील होने से रोकती है या वकालत नामा लेनेसे रोक सकती है अैसा अिस जमाने में हो सकता है अिस बात को में सही नहीं समझ सकता।

شری عبدالرحمن :— کیا یہ صحیح نہیں کہ ....

مسٹر ڈپٹی اسپیکر :— جو ممبر پہلے سے سوال کرنے کے لئے انٹیمیشن (Intimation) دیتے ہیں وہی سوال کر سکتے ہیں -

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अगर मैं आपको यह साबित कर दूं कि वहां के जिन लोगों ने मुझे टेलीग्राम किया था कि अैसा जुल्म यहां हो रहा है आप फौरन आअिये तो अुनको भी पीटा गया है मैं वह टेलीग्राम आपको बता सकता हूं और आप और हम दोनों वहां जाने के बाद यह अगर साबित हो जाय तो क्या आप रिपोर्ट को झूठ नहीं मानेंगे।

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—मैं टेलीग्राम आने से किसी चीज को सही नहीं समझ सकता वाकया होने की सूरत में ही सही समझ सकता हूं। क्योंकि लोग आपको भी गलत बावर करने की कोशिश कर सकते हैं। वाकये की दरयाफ्त करने के बाद अगर सही पाया गया तो सही समझ सकता हूं।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—चूंकि लोगों ने टेलीग्राम भेजा था कि अुनको मारापीटा गया है, जखमें अुनको आअी थीं। तब मैं खुद वहां गया और सर्कल अिन्सपेक्टर को भी दिखाया तो क्या आप अिसको सही नहीं समझ सकते।

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको मारापीटा गया और जखम हुअीं क्या वे दवाखानों में रूजू हुअे थे।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—खुशकिस्मती से अुन्हें अितना नहीं मारा गया था जिससे वे हास्पिटल में रूजू हो जायें। लेकिन अिसका मतलब यह नहीं कि अुनको मारा ही नहीं गया था।

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :—अदालत में बयान नहीं किया जाता, अस्पताल में रूजू नहीं होते और जब तक यह साबित नहीं होता तो कैसे सही समझा जाता ? न अदालत में बयान किया जाता है, न दवाखानेमे रूजू होते हैं और कहते हैं कि मारा गया पीटा गया, जखमें हुअीं, टेनन्सी सर्टीफिकेटस नहीं हैं और मालगुजारी की अदायी की रसायद भी नहीं, लेकिन फिर भी आप कहें कि कब्जा हमारा है तो अुसको कैसे माना जा सकता है।

The House then adjourned till Nine of the Clock on Saturday, the 19th September, 1954.